बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

बैरक संख्या-11, पुराना सचिवालय, पटना-800015

फोन- 0612-2231563, फैक्स नं. : 2231562, 2215089, वेबसाईट : www.bsea.bih.nic.in

पत्रांक-नि॰प्रा॰/नि॰ 1-05/2012 8933 /पटना, दिनांक 15 जून, 2012

प्रेषक,

एन॰ एस॰ माधवन,

मुख्य चुनाव पदाधिकारी।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी(स॰स॰) ,

पटना/ नालन्दा/ भोजपुर/ बक्सर/ रोहतास /गया /अरवल /मुजफ्फरपुर /वैशाली /पूर्वी चंपारण/ सीतामढ़ी /शिवहर /सारण /गोपालगंज /भागलपुर /लखीसराय /खगड़िया /बेगूसराय/ दरभंगा एवं समस्तीपुर ।

प्रखंड विकास पदाधिकारी-सह-निर्वाचन पदाधिकारी (स॰स॰),

धनरूआ/ घोसवरी/ खुसरूपुर/ बख्तियारपुर/ बाढ़/ बेलछी/ मोकामा/ मसौढ़ी/ मनेर/ बिक्रम/ बिहटा/ पंडारक/ दानापुर/ दुल्हिन बाजार/ नौबतपुर/ अथमलगोला/ एकंगरसराय/ इसलामपुर/ हिलसा/ थरथरी/ हरनौत/ परबलपुर/ वेन/ चण्डी/ नूरसराय/ नगरनौसा/ अस्थावाँ/ गड़हणी/ अगिआँव/ जगदीशपुर/ तरारी/ चरपोखरी/ सहार/ पीरो/ बिहियाँ/ कोईलवर/ बड़हरा/ ब्रहम्पुर/ सिमरी/ डुमराँव/ चौगाई/ नवीनगर/ नासरीगंज/ दावथ/ सूर्यपुरा/ विक्रमगंज/ दिनारा/ कोचस/ गुरारू/ परैया/ टिकारी/ कोंच/ बेलागंज/ बंशी सोनभद्र/ करपी/ औराई/ साहेबगंज/ सकरा/ मुरौल/ मोतीपुर/ मीनापुर/ कुढ़नी/ पारू/ महुआ/ महनार/ बिदुपुर/ हाजीपुर/ पटेढ़ी बेलसर/ भगवानपुर/ पातेपुर/ राघोपुर/ राजापाकड़/ सहदेई बुजुर्ग/ देसरी/ वैशाली/ चेहराकला/ जन्दाहा/ गोरौल/ लालगंज/ चिरैया/ ढ़ाका/ तेतरिया/ बेलसंड/ रून्नीसैदपुर/ मेजरगंज/ तरियानी/ पिपराही/ सोनपुर/ दिघवारा/ हथुआ/ पंचदेवरी/ कुचाई/ कोट/ फुलवरिया/ ईस्माईलपुर/ नवगछिया/ बिहपुर/ सबौर/ खरीक/ गोपालपुर/ रंगड़ा/ बड़हिया/ रामगढ़/ सूर्यगढ़ा/ पिपरिया/ खगड़िया/ मानसी/ परवत्ता/ अलौली/ गोगरी/ शाम्हो/ खोदावन्दपुर/ बलिया/ बरौनी/ बछवाड़ा/ बेगूसराय/ मंसुरचक/ मटिहानी/ साहेबपुर कमाल/ छौड़ाही/ वीरपुर/ चेरिया बरियारपुर/ तेघड़ा/ गढ़पुरा/ जाले/ ताजपुर/ वारिसनगर/ दलसिंगसराय/ उजियारपुर/ सरायरंजन/ समस्तीपुर/ पूसा/ पटोरी/ हसनपुर/ विभुतिपुर/ विद्यापतिनगर/ मोरवा/ मोहनपुर/ मोहिउद्दीनगर/ कल्याणपुर एवं खानपुर।

विषय : **प्रखंडस्तरीय प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समितियों का निर्वाचन, 2012 : निर्वाचन संचालन हेतु आवश्यक अनुदेश।**

महाशय,

प्रखंडस्तरीय प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समितियों के निर्वाचन की अधिसूचना शीघ्र ही प्राधिकार द्वारा निर्गत की जायेगी। इस परिप्रेक्ष्य में प्राधिकार की अधिसूचना संख्या 6476 दिनांक 12.05.2012 द्वारा बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 के तहत निबंधित सभी सहकारी समितियों के निर्वाचन सम्पन्न कराने के लिए जिला पदाधिकारी को अपने-अपने क्षेत्राधिकार के लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी(स॰स॰) एवं अधिसूचना संख्या 6477 दिनांक 12.05.2012 द्वारा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/ अंचल अधिकारी को निर्वाचन पदाधिकारी(स॰स॰) पदनामित किया गया है। सुलभ प्रसंग हेतु उपर्युक्त दोनों अधिसूचनाओं की प्रति क्रमशः **अनुलग्नक-1** एवं

अनुलग्नक-2 पर दी गई है। सामान्यतया प्रखंड विकास पदाधिकारी निर्वाचन पदाधिकारी होंगे लेकिन आवश्यक समझे जाने पर जिला पदाधिकारी आदेश द्वारा निर्वाचन पदाधिकारी का दायित्व अंचल अधिकारी को सौंप सकेंगे।

2. प्राधिकार के पत्रांक 6590 दिनांक 16.05.2012, सह पठित पत्रांक 8811 दिनांक 31.05.2012 (**अनुलग्नक-3)** द्वारा उक्त चुनाव हेतु मतदाता सूची की तैयारी के संबंध में निर्गत निदेश के आलोक में **परिशिष्ट-3** में उल्लिखित प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समितियों की मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन दिनांक 08.06.2012 को किया जा चुका है।

3. वर्ष 2009 में प्राधिकार द्वारा प्राथमिक कृषि साख समितियों (पैक्स) का निर्वाचन सफलतापूर्वक संपन्न कराया गया था। प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों की प्रबंधकारिणी कमिटी की संरचना भी वही है जो पैक्स की प्रबंधकारिणी कमिटी की है। प्राधिकार चाहता है कि प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समितियों के चुनाव का संचालन भी पूरी पारदर्शिता, निष्पक्षता एवं सक्षमता के साथ किया जाय ताकि इन समितियों के लिए सही व्यक्ति चुन कर आ सकें एवं समिति का बेहतर प्रबंधन कर सकें। इसके लिए आवश्यक है कि निर्वाचन संचालन से जुड़े प्रत्येक पदाधिकारी को अपने दायित्त्वों एवं कर्त्तव्यों का सम्यक् ज्ञान रहे।

4. बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 की धारा 4 एवं बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार नियमावली, 2008 के नियम 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समितियों के निर्वाचन के समुचित संचालन हेतु प्राधिकार निम्नांकित आदेश देता है –

4.1 **सूचना का प्रकाशन** –

(1) प्राधिकार द्वारा अधिसूचित कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा निर्वाचन के विभिन्न प्रक्रमों का संचालन कराया जायेगा।

(2) प्राधिकार द्वारा नियत कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा **प्रपत्र-1** में निर्वाचन संबंधी सूचना निर्गत की जायेगी, जिसमें नामांकन देने की तिथि, संवीक्षा की तिथि, अभ्यर्थिता वापसी की तिथि, प्रतीक का आवंटन, मतदान तथा मतगणना की तिथि और स्थान आदि का स्पष्ट उल्लेख रहेगा। सूचना में निर्वाचन पदाधिकारी तथा उप निर्वाचन पदाधिकारी का नाम और पता भी उल्लिखित रहेगा। **प्रपत्र-1 में सूचना के प्रकाशन के साथ-साथ ही प्राधिकार के पत्रांक 8858 दिनांक 07-06-2012 द्वारा निर्गत निदेशों के आलोक में प्राथमिक दुग्ध उत्पादक समितियों के लिए नियत मतदान केन्द्रों का विवरण भी प्रकाशित किया जायेगा।**

(3) प्रपत्र-1 की सूचना का प्रकाशन करने की तिथि से मतदान तथा मतगणना तिथि तक का कार्यक्रम प्राधिकार द्वारा निर्धारित कर सभी संबंधित को यथासमय संसूचित किया जाएगा। इस संबंध में प्राधिकार द्वारा आधिकारिक विज्ञप्ति भी प्रकाशित की जायेगी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स०स०)/ निर्वाचन पदाधिकारी/ प्रबंध निदेशक, संबंधित मिल्क यूनियन का यह कर्त्तव्य होगा कि वे प्राधिकार द्वारा निर्धारित निर्वाचन कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार अपने स्तर से करा दें। संबंधित प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति के सचिव का भी यह दायित्व होगा कि निर्वाचन कार्यक्रम की सूचना प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति के सदस्यों तक अवश्य पहुँच जाय।

(4) सूचना का प्रकाशन प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति के कार्यालय के सूचना पट, संबंधित मिल्क यूनियन के सूचना पट तथा निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय के सूचना पट पर अनिवार्य रूप से किया जायेगा। सूचना का प्रकाशन समिति के कार्यक्षेत्र में पड़ने वाले स्थानीय बाजार, पोस्ट-ऑफिस, थाना तथा अन्य महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालयों आदि में

किया जा सकता है। ढोल पिटवाकर तथा स्थानीय अखबारों में विज्ञप्ति देकर अथवा आम इश्तेहार चिपकाकर भी उक्त सूचना का प्रचार-प्रसार किया जा सकेगा।

4.2 **नामांकन पत्र दाखिल किया जाना** -

कोई व्यक्ति किसी स्थान पर निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र दाखिल नहीं कर सकेगा यदि -

(1) उसका नाम अंतिम मतदाता सूची में नहीं हो, या

(2) संगत अधिनियम, नियमावली या सोसाइटी की उपविधियों के प्रावधानों के अधीन वह निर्वाचन हेतु अयोग्य है।

ज्ञातव्य है कि बिहार सहकारी सोसायटी नियमावली, 1959 के नियम 23(1) के अनुसार **निम्न अयोग्यता [उप कंडिका (ख) से (च) तक] वाले सदस्य प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति निर्वाचन में मतदाता तो बन सकते हैं, किन्तु अध्यक्ष अथवा प्रबंधकारिणी समिति के सदस्य पद के उम्मीदवार नहीं बन सकते**, यदि

(क) वह सोसायटी का सदस्य न हो, अथवा

(ख) वह नामांकन भरने की तिथि को उसके द्वारा लिये गये किसी प्रकार के ऋण के संबंध में उप विधियों में यथाविहित अवधि के लिए या किसी भी हालत में तीन माह से अधिक की अवधि के लिए सोसायटी का व्यतिक्रमी हो या किसी अन्य बकाये के संबंध में सोसायटी का व्यतिक्रमी भी हो या किसी अन्य रजिस्ट्रीकृत सोसायटी का व्यतिक्रमी हो, अथवा

(ग) उसे सोसायटी में किये गये किसी निवेश अथवा उससे लिये गये किसी ऋण को छोड़कर सोसायटी के साथ किये गये किसी अस्तित्वयुक्त संविदा में या सोसायटी द्वारा बेची गयी या खरीदी गयी किसी सम्पति में अथवा सोसायटी में किसी संव्यवहार में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से हित हो, अथवा

(घ) उसके विरुद्ध किसी रजिस्ट्रीकृत सोसायटी से संबंधित अधिभार की कोई कार्यवाही लंबित हो, अथवा

(ङ) उसके विरुद्ध रजिस्ट्रीकृत सोसायटी, जिसकी प्रबंध समिति में निर्वाचित होने के लिए वह उम्मीदवार हो, के किसी संव्यवहार से संबंधित कोई जांच-पड़ताल लंबित हो, अथवा

(च) उसके विरूद्ध किसी रजिस्ट्रीकृत सोसायटी के किसी संव्यवहार से संबंधित कोई दांडिक कार्यवाही लंबित हो, जिसमें संज्ञान ले लिया गया है।

4.2.1 **प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति की उपविधियों में वर्णित अयोग्यता :-**

उपर्युक्त के अलावा निम्नलिखित व्यक्ति भी अध्यक्ष अथवा प्रबंधकारिणी समिति के सदस्य पद का उम्मीदवार नहीं बन सकता है, यदि

- वह इस समिति या अन्य किसी भी समिति का वेतनभोगी कर्मचारी हो तथा समिति के किसी वेतनभोगी कर्मचारी का रिश्तेदार हो।
- वह या उसके संयुक्त परिवार का कोई भी व्यक्ति समिति के द्वारा किये जाने वाले कारोबार के सामान कारोबार करता हो (ठीका या उप ठीका) अथवा ऐसे संस्था में साझेदारी हो।
- उसके पास दुधारू गाय, भैंस है तथा उसने समिति के माध्यम से गत सहकारिता वर्ष में दुध नहीं बेचा हो। (नियम-36(छ))

- गत लगातार तीन वर्षों में उसके विरूद्ध समिति का बकाया वसूल करने के लिए कोई कानूनी कार्रवाई की गई हो।
- उसने गत तीन वर्षों में समिति में वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में कार्य किया हो।
- नियम 36 (छ) में एक अयोग्यता यह बताई गयी है कि वैसे सदस्य के पास दुधारू गाय, भैंस होनी चाहिए तथा गत सहकारिता वर्ष में उन्होंने समिति को दुध बेचा हो। यहाँ दुध की मात्रा इत्यादि नहीं बतायी गयी है परन्तु उपविधियों के नियम 13 (ख) को साथ पढ़ने से स्पष्ट है कि वह मात्रा गत सहकारिता वर्ष मे कम से कम 180 दिन अथवा 500 लीटर होना चाहिए, अथवा सदस्य मतदाता होने का अधिकार खो बैठेंगे। अत: प्रबंधकारिणी समिति के सदस्य होने की योग्यता भी खो बैठेंगे।

4.2.2 बिहार सहकारी सोसाइटी नियमावली 1959 के नियम 23(1)(ख) के अधीन अपनी अथवा अन्य सोसाइटी से लिये गये ऋण के संबंध में अगर कोई सदस्य तीन माह से अधिक की अवधि के लिए संबंधित सोसाइटी का व्यतिक्रमी (Defaulter) हो, तो वह भी अध्यक्ष/ प्रबंधकारिणी समिति के सदस्य पद का उम्मीदवार नहीं बन सकता है। प्राधिकार के संज्ञान में यह बात आयी थी कि पैक्स चुनाव, 2009 के दौरान दिये गये इस निदेश के निर्वचन में राज्य में एकरूपता नहीं पायी गयी थी। परिणामस्वरूप विभिन्न न्यायालय में मामले भी दायर हुए थे और इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा एक आदेश पारित किया गया था। इस बिन्दु की विस्तार से चर्चा अनुवर्त्ती कंडिका 4.2.16(5) में नीचे की गयी है।

4.2.3 अयोग्यताओं के संबंध में, जिसका ऊपर उल्लेख किया गया है, निदेश है **कि नामांकन पत्र भरने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी प्रपत्र-क में अन्य सूचनाओं के साथ-साथ उपर्युक्त कोई अयोग्यता नहीं होने से संबंधित शपथ पत्र भी समर्पित करेगा। अभ्यर्थी को यह स्पष्ट रूप से बतला दिया जाना चाहिये कि शपथ पत्र पर तथ्यों को छिपाने या गलत सूचना देने आदि की स्थिति में उनके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता के संगत प्रावधानों के अधीन फौजदारी मुकदमा दायर किया जा सकता है।**

4.2.4 इच्छुक सदस्यों द्वारा नामांकन पत्र **प्रपत्र-2** में निर्वाचन पदाधिकारी या उसके द्वारा अधिकृत उप निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए सिर्फ एक दिन का समय नियत किया जा रहा है। **नामांकन पत्र पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 5 बजे के बीच निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय में दाखिल किया जायेगा।** अत: यह आवश्यक है कि नामांकन प्राप्त करने की अवधि में निर्वाचन पदाधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत उप निर्वाचन पदाधिकारी पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 5 बजे तक निश्चित रूप से निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय में उपस्थित रहें।

4.2.5 प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए एक प्रस्तावक तथा एक समर्थक का होना आवश्यक है। प्रस्तावक तथा समर्थक अभ्यर्थी से भिन्न संबंधित मतदाता सूची में अंकित कोई अन्य मतदाता होंगे।

4.2.6 संवीक्षा के दौरान अनावश्यक कार्यभार नहीं होने पाये, इसलिए निर्वाचन पदाधिकारी नामांकन पत्र प्राप्त करने के दौरान ही संलग्न **अनुसूची-1** में चेकलिस्ट के आधार पर जाँच कर लेगा कि नामांकन पत्र में आवश्यक सभी प्रविष्टियाँ की गई हैं, उसके साथ आवश्यक सभी कागजात दाखिल किये गये हैं तथा उसपर अभ्यर्थी, प्रस्तावक तथा समर्थक का हस्ताक्षर अंकित है। अभ्यर्थी के हस्ताक्षर के साथ उस तिथि का भी उल्लेख रहेगा जिस दिन उनके द्वारा नामांकन पत्र दाखिल किया गया है।

4.2.7 यदि प्रस्तुत नामांकन पत्र में कोई लिपिकीय भूल हो या कोई सूचना नहीं दी गई हो तो निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा संबंधित अभ्यर्थी को सुझाव दिया जायेगा कि वे पाई गई खामियों का सुधार कर ही नामांकन पत्र दाखिल करें। परन्तु यदि ऐसा कहने पर भी अभ्यर्थी नामांकन पत्र को दुरूस्त करने के लिए तैयार नहीं हो, तो उस परिस्थिति में निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा नामांकन पत्र को यथास्थिति प्राप्त किया जायेगा।

4.2.8 **प्रपत्र-2** में नामांकन पत्र अभ्यर्थी द्वारा **व्यक्तिगत रूप** से **प्रपत्र-1** में यथाउल्लिखित स्थान, तिथि, समय एवं पदाधिकारी के समक्ष दाखिल किया जायेगा। एक व्यक्ति अधिकतम दो सेट नामांकन पत्र ही दाखिल कर सकता है। नामांकन पत्र प्राप्त होते ही नामांकन पत्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर के निचले भाग में आवश्यक प्रविष्टियाँ निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा की जायेंगी। उसमें नामांकन पत्र की क्रम संख्या भी अंकित रहेगी। सबसे पहले प्राप्त नामांकन पत्र पर क्रम संख्या 1 होगी और उसके पश्चात जैसे-जैसे नामांकन पत्र दाखिल किया जायेगा, वैसे-वैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 आदि करके क्रम संख्या अंकित की जायेगी। प्रत्येक नामांकन पत्र को एक क्रम संख्या आवंटित की जायेगी। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा एक ही समय दो नामांकन पत्र दाखिल किये जाते हैं, तो उक्त दोनों नामांकन पत्र को अलग-अलग क्रम संख्या आवंटित की जायेगी। उदाहरणस्वरूप, यदि अभ्यर्थी विश्वनाथ राय द्वारा दायर प्रथम नामांकन पत्र को क्रम संख्या 3 आवंटित की जाती है तो उनके द्वारा साथ-साथ दायर दूसरे नामांकन पत्र को क्रम संख्या 4 आवंटित की जायेगी। पर यदि अभ्यर्थी विश्वनाथ राय द्वारा प्रथम नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद अन्य चार अभ्यर्थियों के नामांकन पत्र दाखिल हो गये हों और श्री राय ने अपना दूसरा नामांकन पत्र उनके बाद दाखिल किया हो तो दूसरे नामांकन पत्र पर क्रम संख्या 4 अंकित नही होकर 4, 5, 6,7 के बाद क्रम संख्या 8 अंकित की जायेगी।

4.2.9 निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा निश्चित रूप से नामांकन पत्र के निचले भाग में विहित प्रपत्र में दायर किये गये नामांकन पत्र के बारे में एक प्राप्ति रसीद संबंधित अभ्यर्थी को दी जायेगी जिसपर अंकित क्रम संख्या वही होगी जो नामांकन पत्र पर अंकित की गई है। प्राप्ति रसीद में नामांकन पत्र की संवीक्षा हेतु निर्धारित तिथि, समय एवं स्थान का भी उल्लेख रहेगा।

4.2.10 प्रत्येक प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति में अध्यक्ष सहित कुल 13 स्थानों के लिये निर्वाचन कराया जाना है। अध्यक्ष का पद अनारक्षित है, किन्तु प्रबंध समिति के 12 पदों में से 2 पद अनुसूचित जाति/अनु0 जनजाति के लिए, 1 पद अति पिछड़ा वर्ग (एनेक्सचर-1) के लिए, 1 पद पिछड़ा वर्ग (एनेक्सचर-2) के लिए तथा 2 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। आरक्षित कोटियों से वही सदस्य उम्मीदवार बन सकते हैं, जो उक्त कोटि के अन्तर्गत आते हैं। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग (एनेक्सचर-2)/अति पिछड़ा वर्ग (एनेक्सचर-1) कोटि से चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी को संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी/अनुमंडल दंडाधिकारी/जिला दंडाधिकारी द्वारा निर्गत मूल जाति प्रमाण पत्र अपने नामांकन पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा। महिला कोटि से आरक्षित 2 स्थानों के लिए केवल महिला सदस्य ही नामांकन पत्र भर सकती हैं, चाहे वे किसी जाति की हों। अनारक्षित कोटि से सदस्य पद के शेष 5 स्थानों के लिए किसी भी कोटि के व्यक्ति (पुरूष तथा महिला) यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग (एनेक्सचर-2)/अति पिछड़ा वर्ग (एनेक्सचर-1)/अन्य सामान्य जाति के पुरूष तथा महिला सदस्य चुनाव लड़ सकते हैं। **जो सदस्य आरक्षित कोटि तथा महिला कोटि से निर्वाचन हेतु नामांकन पत्र भरेंगे, वे सामान्य श्रेणी से नामांकन पत्र नहीं दे सकते हैं।**

4.2.11 नामांकन पत्र (**प्रपत्र-2**) की पर्याप्त प्रतियाँ निर्वाचन पदाधिकारी के पास उपलब्ध रहेंगी जो इच्छुक अभ्यर्थियों को नि:शुल्क उपलब्ध कराई जायेंगी। प्रत्येक नामांकन पत्र के साथ **प्रपत्र-क (शपथ पत्र एवं एनेक्सचर)** में, **प्रपत्र-ख (अभ्यर्थी का बायोडाटा)** तथा **प्रपत्र-ग (मतदाता होने की घोषणा)** भी संलग्न किया जायेगा। अत: निर्वाचन पदाधिकारी को चाहिए कि वह **प्रपत्र-2** के साथ **प्रपत्र-क**, **प्रपत्र-ख एवं प्रपत्र-ग** को एक साथ नत्थी कर पहले से ही अपने पास मौजूद रखे ताकि एक साथ सभी कागजात नत्थीबद्ध रूप से नामांकन पत्र

दाखिल करने वाले अभ्यर्थी को उपलब्ध कराया जा सके। निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को यह सुझाव दिया जायेगा कि आवश्यकतानुसार इन नत्थीबद्ध कागजातों की फोटोप्रति कराकर प्रयोग में लाया जा सकता है।

4.2.12 **कोई प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति का सदस्य एक से अधिक पदों, यानी अध्यक्ष/ प्रबंधकारिणी समिति के सदस्य, दोनों तरह के पदों के लिये नामांकन दे सकता है। यदि कोई अभ्यर्थी प्रबंधकारिणी समिति के एक से ज्यादा पद के लिये चुना जाता है, तो ऐसी स्थिति में वह सिर्फ एक ही पद धारण करने की इच्छा प्रकट करेगा और संबंधित सोसाइटी के शेष पदों को निर्वाचन परिणाम प्रकाशित होने के 24 घंटे के भीतर निर्वाचन पदाधिकारी को लिखित सूचना देकर खाली करेगा, और ऐसे अभ्यर्थी द्वारा छोड़े गये ऐसे पद दूसरे ऐसे अभ्यर्थी द्वारा भरे जायेंगे जो उस अभ्यर्थी के बाद दूसरा अधिकतम मत प्राप्त करने वाला रहा है: परन्तु यह भी कि ऐसे अभ्यर्थी द्वारा विहित सीमा के अन्दर इच्छा व्यक्त नहीं की जाती है तो निर्वाचन पदाधिकारी स्वविवेक का प्रयोग करेगा और वैसे पद को उक्त अभ्यर्थी द्वारा खाली घोषित करेगा (बिहार सहकारी सोसाइटी नियमावली, 1959 का नियम 21-ण)।**

4.2.13 नामांकन पत्र दाखिल करने की अवधि की समाप्ति के तुरन्त बाद निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा **प्रपत्र-घ** में **पदवार** एक विवरणी तैयार की जायेगी जिसमें दायर किये गये सभी नामांकन पत्र के बारे में आवश्यक ब्यौरा रहेगा और **प्रपत्र-घ** की एक प्रति निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय के सूचना पट्ट में या दीवार की किसी सुगोचर जगह पर चिपका दी जायेगी ताकि लोगों को मालूम हो जाय कि किस पद के लिए किस-किस सदस्य द्वारा नामांकन पत्र दाखिल किया गया है तथा इस प्रकार नामांकन पत्र में प्रस्तावक एवं समर्थक के रूप में किस-किस व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किया गया है। निर्वाचन प्रक्रिया की शुद्धता बनाये रखने के लिए यह आवश्यक है कि छल का सहारा लेकर किसी व्यक्ति द्वारा नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया जा सके।

4.2.14 निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा अपने कार्यालय के सूचना पट पर प्रत्येक अभ्यर्थी के सहकारिता बकाये, आपराधिक मामले आदि से संबंधित व्यक्तिगत विवरण को इस सूचना के साथ प्रदर्शित किया जाएगा कि संबंधित अभ्यर्थी द्वारा दाखिल प्रपत्र-क जांच हेतु उनके कार्यालय में उपलब्ध है, और कोई चाहे तो इस संबंध में आपत्ति, अगर कोई हो, नामांकन पत्रों की संवीक्षा के समय दायर कर सकता है।

4.2.15 निर्वाचन पदाधिकारियों के सुलभ प्रसंग हेतु उपर्युक्त निर्देशों का सार संक्षेप निम्नवत् है -

निर्वाचन के विवरण से संबंधित सूचना

निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा उप कंडिका 5.1(2) में उल्लिखित प्रक्रम के अनुसार प्रपत्र-1 में लिखित सूचना निर्गत की जायेगी। प्रपत्र-1 के साथ-साथ प्राधिकार के पत्रांक 8898 दिनांक 07.06.2012 के आलोक में तैयार किये गये मतदान केन्द्रों का विवरण भी प्रकाशित किया जायेगा।

नामांकन कौन दे सकता है ?

- वैसे सभी व्यक्ति नामांकन दे सकते हैं जिनका नाम संबंधित प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति की मतदाता सूची में सम्मिलित है और जो बिहार सहकारी सोसाइटी नियमावली, 1959 के नियम 23(1) में उल्लिखित अयोग्यताओं अथवा प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति की उपविधियों में उल्लिखित अयोग्यताओं के अधीन नहीं हैं।
- नामांकन प्रपत्र-2 में अभ्यर्थी द्वारा स्वयं प्रस्तुत किया जायेगा।
- जिन व्यक्तियों के नाम गिरफ्तारी के वारंट निर्गत हैं, वे आत्मसमर्पण करने के पश्चात ही नामांकन पत्र दाखिल करने के अधिकारी बन सकते हैं। निर्वाचन पदाधिकारी प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति की मतदाता सूची की एक प्रति स्थानीय थाना प्रभारी को उपलब्ध करा देंगे, तथा उनसे ऐसे सदस्यों की सूची प्राप्त कर अपने पास रखेंगे जिनके विरूद्ध गैर जमानती वारंट लम्बित हैं। निर्वाचन पदाधिकारी नामांकन की तिथि एवं अवधि स्थानीय थाना प्रभारी को सूचित करेंगे और उनसे अनुरोध करेंगे कि एक स्थानीय पुलिस पदाधिकारी भी नामांकन स्थल पर मौजूद रहे जो ऐसे

वारंटी व्यक्तियों के उपस्थित होने पर उसे तुरंत अपनी अभिरक्षा में ले लेगा तथा उस व्यक्ति द्वारा नामांकन पत्र दे दिये जाने के पश्चात अग्रेतर विधिक कार्रवाई करेगा।

- एक व्यक्ति एक पद के लिये अधिकतम दो (2) नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है।
- नामांकन देने वाले व्यक्ति के लिए एक प्रस्तावक एवं एक समर्थक रहना आवश्यक है।

प्रस्तावक एवं समर्थक कौन होगा?

- जिसका नाम संबंधित प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति की मतदाता सूची में सम्मिलित है। दूसरे प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति का कोई व्यक्ति प्रस्तावक अथवा समर्थक नहीं हो सकता है।
- कोई व्यक्ति एक से अधिक अभ्यर्थी के लिए प्रस्तावक या समर्थक नहीं बन सकता है। **किन्तु जहाँ सदस्यों की संख्या 30 या उससे कम है, वहाँ प्रस्तावक/ समर्थक होने के लिए इस शर्त्त को शिथिल किया जाता है। ऐसी स्थिति में किसी उम्मीदवार का प्रस्तावक/ समर्थक एक से अधिक उम्मीदवार का भी समर्थक/ प्रस्तावक बन सकता है।**
- जो व्यक्ति किसी पद विशेष के लिए स्वयं अभ्यर्थी है वह उसी पद के लिए खड़े किसी अन्य अभ्यर्थी के लिए प्रस्तावक/समर्थक नहीं बन सकता है। **किन्तु जहाँ सदस्यों की संख्या 30 या उससे कम है, वहाँ प्रस्तावक/ समर्थक होने के लिए इस शर्त्त को शिथिल किया जाता है। ऐसी स्थिति में कोई उम्मीदवार उसी पद के लिए किसी दूसरे उम्मीदवार का भी प्रस्तावक/ समर्थक बन सकता है।**
- पद विशेष के किसी अभ्यर्थी के लिए कोई प्रस्तावक या समर्थक स्वयं उस पद के लिए अभ्यर्थी नहीं हो सकता है।
- प्रस्तावक या समर्थक द्वारा किसी नामांकन पत्र पर हस्ताक्षर कर देने के पश्चात वह नहीं कह सकता है कि वह उस अभ्यर्थी का प्रस्तावक/समर्थक नहीं बनना चाहता है।

निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा अभ्यर्थी तथा उसके प्रस्तावक/समर्थक को उपर्युक्त शर्तों की जानकारी दे दी जानी चाहिए तथा स्पष्ट रूप से बता दिया जाना चाहिए कि कोई गलत सूचना देने अथवा गलत काम करने पर अभ्यर्थी का नामांकन अस्वीकृत करने के साथ-साथ अभ्यर्थी तथा प्रस्तावक/समर्थक के विरूद्ध फौजदारी मुकदमा दायर करने की कार्रवाई भी की जायेगी।

नामांकन पत्र के साथ अभ्यर्थी द्वारा क्या-क्या कागजात संलग्न किये जायेंगे ?

- मतदाता सूची में अभ्यर्थी के नाम की प्रविष्टि की सत्यापित प्रति। **निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा मतदाता सूची की प्रविष्टि की प्रति निर्गत करने एवं उसे सत्यापित करने की शक्ति किसी प्रखण्ड स्तरीय पर्यवेक्षक को प्रत्यायोजित की जा सकती है। संबंधित प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति के सचिव भी मतदाता सूची की प्रविष्टि के विवरण को सत्यापित करने हेतु प्राधिकृत किये जाते हैं।**
- विहित **प्रपत्र-क** में किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि अथवा किसी न्यायालय में लंबित आपराधिक मामलों, परिसम्पतियों, शैक्षणिक योग्यता आदि एवं संगत सहकारिता अधिनियम/नियमावली में उल्लिखित अयोग्यता के अधीन नहीं होने के संबंध में **सशपथ** विवरण।
- प्रखंड विकास पदाधिकारी/ अंचल अधिकारी/ अनुमण्डल पदाधिकारी/ जिला दण्डाधिकारी द्वारा निर्गत अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग (एनेक्सचर-2)/ अति पिछड़ा वर्ग (एनेक्सचर-1) का जाति प्रमाण पत्र **(महिला कोटि एवं सामान्य कोटि के अभ्यर्थियों के मामले में लागू नहीं)**।

- **''प्रपत्र-ख''** में बायोडाटा से संबंधित सूचनाएँ।
- **''प्रपत्र-ग''** में मतदाता होने का घोषणा पत्र।

नामांकन पत्र प्राप्त करते समय निर्वाचन पदाधिकारी जिन बिन्दुओं पर विशेष ध्यान देगा

- नामांकन पत्र में कर्णांकित स्थानों पर अभ्यर्थी तथा उसके प्रस्तावक/समर्थक का हस्ताक्षर है अथवा नहीं।
- नामांकन पत्र में अभ्यर्थी, उसके प्रस्तावक एवं समर्थक के नाम तथा क्रमांक वही हैं जो मतदाता सूची में अंकित है।
- नाम/संख्या में लिपिकीय भूल को नजरअंदाज किया जायेगा।
- ऐसी लिपिकीय भूल को मतदाता सूची के अनुरूप शुद्ध करने का आदेश दिया जा सकेगा।
- अगर मतदाता सूची में ही कोई तुच्छ/असारभूत लिपिकीय भूल हो जैसे पूरे नाम से अंश या टाइटिल छूट गया हो तो निर्वाचन पदाधिकारी स्वयं सन्तुष्ट हो लेने के पश्चात ऐसे नामांकन पत्र को प्राप्त करेगा।
- अनुसूची-1 में संलग्न चेकलिस्ट से भी संतुष्ट हो लेगा कि सभी प्रविष्टियाँ भर दी गई हैं अथवा कागजात दाखिल कर दिये गये हैं।
- अगर नामांकन पत्र सही ढंग से नहीं भरा गया है तो निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा उसे संबंधित अभ्यर्थी को वापस करते हुए त्रुटियों को सुधारकर पुन: दाखिल करने का परामर्श दिया जाना चाहिए ताकि संवीक्षा के समय उक्त त्रुटियों के आधार पर नामांकन पत्र को रद्द करने की स्थिति उत्पन्न नही हो। अगर परामर्श दिये जाने पर भी अभ्यर्थी नामांकन पत्र को दुरूस्त करने के लिए तैयार नहीं हो तो उस स्थिति में निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा नामांकन पत्र यथा स्थिति प्राप्त किया जायेगा। **यह अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है जिसे निर्वाचन पदाधिकारियों द्वारा निष्ठापूर्वक किया जाना चाहिए।**
- अगर कोई अभ्यर्थी/उसका प्रस्तावक/समर्थक किसी दूसरे अभ्यर्थी का नामांकन पत्र देखना चाहे, तो उसे ऐसा करने के लिए पर्याप्त सुविधा दी जायेगी। प्रपत्र-क देखने अथवा उसका निरीक्षण करने हेतु सभी सदस्यों को अवसर प्रदान किया जाएगा।

निर्वाचन पदाधिकारियों के लिए विशेष हिदायत

- किसी भी नामांकन भरने वाले व्यक्ति से आवासीय प्रमाण-पत्र अथवा चरित्र प्रमाण-पत्र की मांग नहीं की जायेगी।
- किसी भी अभ्यर्थी से बकाया रहित प्रमाण-पत्र (No Dues Certificate) की मांग नहीं की जायेगी।
- अभ्यर्थी के डिफाल्टर होने अथवा अन्य बिन्दु पर अयोग्यता होने से संबंधित किसी आपत्ति के साक्ष्य में आवश्यक कागजत प्रस्तुत करने की जिम्मेवारी आपत्तिकर्त्ता की होगी।
- नामांकन भरने वाले किसी भी व्यक्ति से प्रतिभूति राशि या अन्य रूप में कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा।

4.2.16. **नामांकन पत्र की संवीक्षा** –

(1) नामांकन पत्र के दाखिले की प्रक्रिया की समाप्ति के पश्चात निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्रपत्र-2 में अंकित समय, तिथि एवं स्थान पर नामांकन पत्र की संवीक्षा की जायेगी। वस्तुत: प्रपत्र-2 में नामांकन पत्र की प्राप्ति के रूप में जो रसीद अभ्यर्थी को दी जायेगी, उसमें संवीक्षा की तिथि एवं समय इस प्रकार से निर्धारित कर अंकित किया जायेगा ताकि संवीक्षा

के दौरान अनावश्यक भीड़-भाड़ नही होने पाये। **संवीक्षा पदवार निम्न क्रम में की जायेगी - अध्यक्ष/महिला कोटि से प्रबंध समिति के सदस्य/सामान्य कोटि से प्रबंध समिति के सदस्य/अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति कोटि से प्रबंध समिति के सदस्य/ अति पिछड़ा वर्ग कोटि से प्रबंध समिति के सदस्य तथा पिछड़ा वर्ग कोटि से प्रबंध समिति के सदस्य।** प्रत्येक पद हेतु दायर किये गये नामांकन पत्र की संवीक्षा क्रमानुसार की जायेगी अर्थात् किसी पद विशेष के लिए सर्वप्रथम क्रम संख्या 1 के नामांकन पत्र की संवीक्षा की जायेगी और उसके पश्चात क्रम संख्या 2 तथा उसके पश्चात क्रम संख्या 3 आदि के रूप में नामांकन पत्र की संवीक्षा की जायेगी। **नामांकन पत्र की संवीक्षा 11 बजे प्रारंभ की जायेगी और लगातार चलती रहेगी।** यदि किसी अपरिहार्य कारणवश(प्राकृतिक आपदा, हिंसा की कार्रवाई, विधि-व्यवस्था आदि) संवीक्षा की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी तो उस स्थिति में यह कोशिश रहेगी कि अंत में लिये गये नामांकन पत्र की संवीक्षा पूरी हो जाये। पर ऐसा संभव नहीं होने की स्थिति में स्थगन के बाद जब संवीक्षा की जायेगी तो उक्त अधूरा नामांकन पत्र की संवीक्षा पहले पूरी कर ली जायेगी। यदि किसी अभ्यर्थी विशेष के बारे में आपत्ति की जाती है तो उस स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी को कुछ वक्त दिया जायेगा ताकि वे उठाई गई आपत्तियों का जवाब दे सकें। **निर्वाचन पदाधिकारी स्वविवेक से निर्णय लेगा कि संबंधित अभ्यर्थी को कितना वक्त देना चाहिए, पर किसी भी परिस्थिति में यह वक्त अगली तिथि के एक निश्चित समय के अंदर ही सीमित रहेगा।**

(2) संवीक्षा करने का अधिकार निर्वाचन पदाधिकारी/उप निर्वाचन पदाधिकारी दोनों को रहेगा, **परन्तु संवीक्षा के दौरान नामांकन पत्र स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार केवल निर्वाचन पदाधिकारी को ही रहेगा।** उप निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा संवीक्षा किये जाने पर जब वह पूरी तरह से संतुष्ट हो जाय कि अमुक नामांकन पत्र अस्वीकृत करने योग्य है, तो उसके संबंध में उप निर्वाचन पदाधिकारी एक स्पष्ट प्रतिवेदन निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा और उसके बाद निर्वाचन पदाधिकारी इस संबंध में आवश्यक निर्णय लेगा।

(3) नामांकन पत्र की संवीक्षा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और इसमें किसी प्रकार की गलती या लापरवाही होने के कारण अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता रद्द होने के अतिरिक्त अनावश्यक परेशानियाँ भी पैदा हो सकती हैं। **अतएव यह आवश्यक है कि निर्वाचन पदाधिकारी पूरी गंभीरता के साथ नामांकन पत्र की संवीक्षा करें** ताकि इसपर किसी को कोई शिकायत करने की गुंजाइश नहीं होने पाये। स्पष्टत: संवीक्षा की कार्रवाई में पूरी पारदर्शिता रहनी चाहिए ताकि अभ्यर्थी तथा अन्य सदस्यों को यह महसूस हो कि निर्वाचन प्रक्रिया की शुद्धता एवं निष्पक्षता बरकरार है। संवीक्षा की शुद्धता एवं निष्पक्षता के हित में संवीक्षा के दौरान अभ्यर्थी तथा उनके प्रस्तावक एवं समर्थक मौजूद रह सकते हैं। अभ्यर्थी को अपना पक्ष सिद्ध करने के लिए पूरा अवसर दिया जाना चाहिए। **संवीक्षा अवधि के दौरान संबंधित समिति के सचिव प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध रहेंगे एवं आवश्यकता पड़ने पर उन्हें निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा संवीक्षा स्थल पर बुलाया जा सकेगा। वर्तमान समिति के अध्यक्ष/ प्रबंधकारिणी समिति के सदस्य को किसी भी परिस्थिति में, अगर वे स्वयं अभ्यर्थी नहीं हो, संवीक्षा के समय उपस्थित रहने की अनुमति नहीं दी जायेगी।** ऊपर उल्लिखित व्यक्तियों के अतिरिक्त और किसी व्यक्ति को संवीक्षा के दौरान मौजूद रहने की अनुमति नही दी जायेगी और यदि अभ्यर्थी द्वारा अन्य किसी व्यक्ति को मौजूद रहने के लिए दबाव दिया जाता है तो उस परिस्थिति में उनके द्वारा

दायर किये गये नामांकन पत्र की संवीक्षा तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि इस प्रकार अनधिकृत व्यक्ति को संवीक्षा के लिए विहित स्थान से बाहर नहीं कर दिया जाता है।

(4) आम तौर पर यह पाया जाता है कि दायर किये गये नामांकन पत्रों में से कई नामांकन पत्र कोई–न–कोई कारणवश अस्वीकृत हो जाते हैं। किसी नामांकन पत्र को स्वीकृत करने या अस्वीकृत करने का अधिकार केवल निर्वाचन पदाधिकारी को ही प्रदत्त है। कतिपय त्रुटियों के कारण निर्वाचन पदाधिकारी के लिए कुछ नामांकन पत्र को अस्वीकृत करने की अप्रिय कार्रवाई करना आवश्यक हो सकता है। किसी नामांकन पत्र के बारे में आपत्ति किये जाने पर या स्वप्रेरणा से आवश्यक छानबीन के उपरांत निम्नलिखित आधारों पर निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा संबंधित नामांकन पत्र को अस्वीकृत किया जा सकेगा –

(i) अभ्यर्थी संगत अधिनियम या नियमावली या उप विधियों के प्रावधानों के तहत किसी पद के लिए निर्वाचित किये जाने के अयोग्य है।

(ii) प्रस्तावक या समर्थक नामांकन पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए अयोग्य है।

(iii) नामांकन पत्र में अंकित अभ्यर्थी या प्रस्तावक या समर्थक के बारे में मतदाता सूची का क्रमांक संबंधित अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची में अंकित वास्तविक क्रमांक के अनुसार नहीं है। परन्तु मतदाता सूची के क्रमांक में या अन्य प्रविष्टियों में विसंगतियाँ रहने के बावजूद यदि निर्वाचन पदाधिकारी सन्तुष्ट हो जाता है कि नामांकन पत्र में उल्लिखित अभ्यर्थी, प्रस्तावक एवं समर्थक वास्तव में वही व्यक्ति है, जिनका नाम दायर किये गये नामांकन पत्र में अंकित है, तो उस स्थिति में निर्वाचन पदाधिकारी इस प्रकार नामांकन पत्र को अस्वीकृत नहीं करेगा बशर्ते कि अभ्यर्थी, प्रस्तावक तथा समर्थक अन्यथा अयोग्य नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि **संबंधित अभ्यर्थी, प्रस्ताव एवं समर्थक की पहचान एवं योग्यता के बारे में निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा सन्तुष्ट होना सबसे महत्वपूर्ण है।**

(iv) नामांकन पत्र पर अभ्यर्थी या प्रस्तावक या समर्थक का हस्ताक्षर सही नहीं है या इस प्रकार हस्ताक्षर छलपूर्वक प्राप्त किया गया है।

(v) नामांकन पत्र के साथ निम्नांकित कागजात दायर नहीं किया गया हो –

- ''**प्रपत्र-क**'' में शपथ पत्र पर वाँछित सूचनाएँ।
- ''**प्रपत्र-ख**'' में बायोडाटा ।
- ''**प्रपत्र-ग**'' में मतदाता होने संबंधी घोषणा पत्र।

(vi) अभ्यर्थी/प्रस्तावक/समर्थक का नाम अंतिम मतदाता सूची में अंकित रहने की स्थिति में मतदाता सूची की संबंधित प्रविष्टि/प्रविष्टियों की अभिप्रमाणित प्रति को निर्णयात्मक साक्ष्य के रूप में स्वीकार कर लिया जायेगा जिसके आधार पर अभ्यर्थी/प्रस्तावक/समर्थक द्वारा नामांकन पत्र पर हस्ताक्षर किये जाने पर ऐसे नामांकन पत्र को स्वीकार कर लिया जायेगा बशर्ते कि ऐसा नामांकन पत्र दूसरे अन्य आधारों पर अस्वीकृत करने योग्य नहीं पाया गया हो।

(vii) कोई भी अभ्यर्थी द्वारा किसी पद विशेष के लिए अधिकतम दो नामांकन पत्र दाखिल किया जा सकता है। संवीक्षा के दौरान अगर ऐसा पाया जाता है कि दाखिल किये गये दो नामांकन पत्रों में से एक नामांकन पत्र गलत है किन्तु दूसरा नामांकन पत्र सभी तरह से सही है, तो उस स्थिति में जो नामांकन पत्र सही पाया गया हो, उसे स्वीकृत कर लिया जायेगा।

(viii) कोई नामांकन पत्र किसी लिपिकीय या मुद्रण संबंधी भूल या किसी ऐसी त्रुटि के आधार पर अस्वीकृत नहीं किया जा सकेगा जो सारभूत न हो। इस संबंध में कुछ उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं :-

- मान लिया जाये कि अभ्यर्थी राजेन्द्र प्रसाद यादव द्वारा नामांकन पत्र में अपना नाम राजेन्द्र प्रसाद यादव दर्ज किया गया है और अपना हस्ताक्षर सिर्फ राजेन्द्र प्रसाद के रूप में किया है तो इसे लिपिकीय भूल माना जायेगा और तदनुसार इस भूल के कारण उनका नामांकन पत्र अस्वीकृत नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थी के प्रस्तावक या समर्थक के बारे में भी इस प्रकार लिपिकीय भूल के लिए संबंधित नामांकन पत्र को अस्वीकृत नहीं किया जायेगा;

- महिला अभ्यर्थी के बारे में विशेष ध्यान देना आवश्यक है। आम तौर पर एक ही महिला का नाम विभिन्न प्रकारों से लिखा जाता है। उदाहरणस्वरूप, श्रीमती कुन्ती देवी का नाम विभिन्न प्रसंग में कुन्ती कुमारी, कुन्ती रानी, कुन्ती आदि के रूप में लिखा जाता है और उनका हस्ताक्षर भी इस तरह से किया जाता है। यह संभव है कि नामांकन पत्र में अभ्यर्थी का नाम श्रीमती कुन्ती देवी लिखा हुआ है पर हस्ताक्षर में सिर्फ कुन्ती या कुन्ती कुमारी लिखा हुआ है। इस प्रकार की विसंगतियों को लिपिकीय भूल के रूप में मान्यता दी जायेगी बशर्ते कि संबंधित अभ्यर्थी के पति/पिता का नाम, पता आदि से यह साबित हो जाता है कि वास्तव में श्रीमती कुन्ती देवी एवं कुन्ती कुमारी या कुन्ती आदि एक ही अभ्यर्थी है। इसी प्रकार अभ्यर्थी के प्रस्तावक या समर्थक के बारे में भी अनुरूप निर्णय लिया जायेगा।

- किसी अभ्यर्थी द्वारा उनके पिता के नाम के शुरू में स्व० जोड़ दिया गया है जबकि मतदाता सूची में उनके पिता के नाम के शुरू में स्व० नहीं लिखा हुआ है तो इसे लिपिकीय भूल मानकर संबंधित नामांकन पत्र को अस्वीकृत नहीं किया जायेगा।

- नामांकन पत्र में अभ्यर्थी/प्रस्तावक/समर्थक के बारे में मतदाता सूची का जो क्रमांक अंकित किया गया है तथा मतदाता सूची में जो क्रमांक दर्शाया गया है, उसमें अगर कोई विसंगति है, तो सिर्फ उसी आधार पर नामांकन पत्र को अस्वीकृत नहीं किया जायेगा बशर्ते कि अभ्यर्थी का पता तथा अन्य साक्ष्य के आधार पर अभ्यर्थी तथा प्रस्तावक एवं समर्थक की पहचान स्पष्ट रूप से स्थापित हो जाये तथा अभ्यर्थी, प्रस्तावक एवं समर्थक अन्यथा अयोग्य नहीं हो।

- संवीक्षा के समय किसी अभ्यर्थी/प्रस्तावक/समर्थक की सिर्फ अनुपस्थिति के कारण नामांकन पत्र रद्द नहीं किया जायेगा। अर्थात समुचित आधार पर ही नामांकन पत्र अस्वीकृत किया जा सकता है और उसके लिए अभ्यर्थी/प्रस्तावक/समर्थक को उपस्थित रहना आवश्यक नहीं है बशर्ते कि उन्हें पहले से लिखित सूचना दी गई हो कि किस तिथि, समय एवं स्थान पर उनके द्वारा दाखिल नामांकन पत्र की समीक्षा की जायेगी।

- लिपिकीय भूल या जिस त्रुटि को सारभूत नहीं कहा जा सकता है के बारे में कुछ एक उदाहरण ऊपर दिये गये हैं जो कि सम्पूर्ण (exhaustive) नहीं माने जा सकते हैं। आम तौर पर यह देखना है कि अभ्यर्थी तथा उसके प्रस्तावक या समर्थक की पहचान स्थापित हो रही है या नहीं । सिर्फ लिपिकीय भूल या जो त्रुटि सारभूत नहीं है उसके आधार पर कोई नामांकन पत्र अस्वीकृत नहीं किया

जायेगा बशर्ते कि संबंधित अभ्यर्थी तथा उनके प्रस्तावक या समर्थक की पहचान निःसंदेह रूप से स्थापित हो जाती है।

(5) अगर नामांकन पत्रों की संवीक्षा के दौरान किसी अन्य सदस्य द्वारा यह बात निर्वाचन पदाधिकारी के संज्ञान में सबूत सहित लायी जाती है कि नामांकन भरने वाला व्यक्ति अपने नामांकन पत्र भरने की तिथि को वस्तुतः किसी सहकारिता ऋण का व्यतिक्रमी है तो संपुष्ट हो लेने के पश्चात वह ऐसे अभ्यर्थी का नामांकन रद्द कर सकता है। **पर इस संबंध में कोई भी कार्रवाई माननीय उच्च न्यायालय, पटना के प्रेक्षण के आलोक में राज्य निर्वाचन प्राधिकार के पत्रांक 519 दिनांक 18-03-2010 द्वारा निर्गत परिपत्र (बकाया रहित प्रमाण-पत्र निर्गत करने के संबंध में) के अधीन ही की जा सकेगी।** सुलभ प्रसंग हेतु उपर्युक्त परिपत्र परिशिष्ट-2 के रूप में संलग्न है।

(6) आपत्ति इस आधार पर भी दी जा सकती है कि संबंधित अभ्यर्थी ने 180 दिन अथवा 500 लीटर दूध समिति को नहीं बेचा है, अतः वह अभ्यर्थी बनने का हकदार नहीं है। इस तरह की आपत्ति किये जाने पर निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा समिति के सचिव से प्रोकुरमेन्ट चार्ट (Procurement Chart), जिसमें सदस्यवार दूध के क्रय/ विक्रय का हिसाब रखा जाता है, की मांग की जायेगी तथा उसका निरीक्षण कर भली-भाँति संतुष्ट हो जाने के पश्चात् समुचित आदेश पारित किया जायेगा।

(7) उपर्युक्त तरीकों से नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा के उपरान्त निर्वाचन पदाधिकारी प्रत्येक नामांकन पत्र पर आवश्यकतानुसार ''स्वीकृत'' या ''अस्वीकृत'' अंकित कर उसपर अपना हस्ताक्षर एवं तिथि अंकित करेगा। यदि नामांकन पत्र को अस्वीकृत किया जाता है या किसी नामांकन पत्र पर आपत्ति करने पर भी उसे स्वीकृत किया जाता है तो निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा नामांकन पत्र पर ही इस प्रकार स्वीकृत या अस्वीकृत करने का आधार संक्षेप में अंकित किया जायेगा और उस पर उनका हस्ताक्षर तथा तिथि अंकित रहेगा और इसे पढ़कर संबंधित अभ्यर्थी/आपत्तिकर्त्ता को तत्क्षण सुनाया जायेगा। **जिस अभ्यर्थी का नामांकन अस्वीकृत हो जाता है, वह अस्वीकृति आदेश की प्रति निर्वाचन पदाधिकारी को पांच रूपये की फीस जमा करके प्राप्त कर सकेगा। संबंधित समिति के सचिव संवीक्षा के दिन समिति की रसीद पुस्तिका के साथ प्रखंड कार्यालय में उपलब्ध रहेंगे एवं निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा आदेशित किये जाने पर उक्त पाँच रूपये का रसीद काटकर उस रकम को संबंधित सोसाइटी में जमा कर देंगे।** निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा किसी नामांकन पत्र को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का आदेश अन्तिम होगा, इसलिए यह आवश्यक है कि निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा इस महत्वपूर्ण विषय पर पूरी सावधानी के साथ विचार कर ही सम्यक आदेश पारित किया जाये ताकि निर्वाचन के पश्चात, चुनाव याचिका दायर करने की स्थिति में निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार की खामी नहीं निकाली जा सके। स्पष्टतः नामांकन पत्र तथा उसे स्वीकृत या अस्वीकृत करने के बारे में निर्वाचन पदाधिकारी का आदेश चुनाव प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसलिए यह आवश्यक है कि निर्वाचन पदाधिकारी नामांकन पत्र से संबंधित सभी अभिलेख अपने अधीन सुरक्षित रखेंगे ताकि भविष्य में उसकी आवश्यकता होने पर उसे तुरंत उपलब्ध कराया जा सके।

4.3. अभ्यर्थिता की वापसी

कोई भी अभ्यर्थी दायर किये गये अपने नामांकन पत्र को वापस ले सकता है। ऐसी शिकायत प्राप्त हो सकती है कि दूसरे व्यक्ति द्वारा छल से किसी अभ्यर्थी का नाम वापस ले लिया गया है एवं संबंधित अभ्यर्थी को उसकी कोई जानकारी नही है। **अतः निर्वाचन पदाधिकारी पूरी तरह संतुष्ट हो लेंगे कि वापसी की सूचना देने वाला व्यक्ति स्वयं उम्मीदवार ही है।** अभ्यर्थिता वापस लेने के लिए निश्चित की गई तिथि के अपराह्न 2 बजे के

पूर्व किसी भी समय अभ्यर्थी द्वारा अपना नामांकन पत्र वापस लिया जा सकता है। इस प्रकार नामांकन पत्र वापस लेने की सूचना संबंधित अभ्यर्थी द्वारा **प्रपत्र–3** में व्यक्तिगत रूप से निर्वाचन पदाधिकारी को दी जायेगी और निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्रपत्र–3 के निचले भाग में विहित प्राप्ति रसीद दी जायेगी। इस प्रकार नामांकन पत्र को वापस लेने की सूचना निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्राप्त होने तथा उसकी प्राप्ति रसीद निर्गत करने के साथ ही तत्कालिक प्रभाव से संबंधित अभ्यर्थी द्वारा नामांकन पत्र वापस लिया समझा जायेगा और इस प्रकार अभ्यर्थिता की वापसी को अंतिम माना जायेगा। किसी अभ्यर्थी द्वारा अभ्यर्थिता को वापस लेने के पश्चात उन्हें अभ्यर्थिता को वापस लेने की सूचना को रद्द करने या उस पद के निर्वाचन, जिसके लिए दाखिल किये गये नामांकन पत्र को वापस लिया गया है, में पुनः नामांकन पत्र दाखिल करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। किसी अभ्यर्थी द्वारा अभ्यर्थिता को वापस लेने की सूचना प्राप्त होने तथा उसकी प्राप्ति रसीद निर्गत करने के पश्चात निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा इसके बारे में **प्रपत्र–4** में सूचना जारी कर उसे उनके कार्यालय के सूचना पट्ट में या ऐसी जगह पर चिपका दिया जायेगा ताकि आम लोगों को मालूम हो जाय कि किस अभ्यर्थी विशेष द्वारा अपनी अभ्यर्थिता वापस ले ली गई है।

4.4. **विधिमान्य अभ्यर्थियों की सूची एवं प्रतीक का आवंटन**

(i) नामांकन पत्र की संवीक्षा तथा उसे वापस लेने के पश्चात जो अभ्यर्थी शेष रह गये हैं, पदवार अलग–अलग उनकी सूची निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा **प्रपत्र–5** में तैयार की जायेगी और इस प्रकार तैयार किये गये **प्रपत्र–5** की एक–एक प्रति निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय के सूचना पट्ट में तथा प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति के कार्यालय के सूचना पट्ट में या दीवार की सुगोचर जगह पर चिपका दी जायेगी जिससे आम लोगों को मालूम हो जाय कि प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति के विभिन्न कोटि के पदों के लिए कितने एवं कौन–कौन वैध अभ्यर्थी चुनाव मैदान में रह गये हैं। **प्रपत्र–5** में वैध अभ्यर्थी का नाम तथा उनका पता देवनागरी लिपि में हिन्दी में अंकित किया जायेगा। और अभ्यर्थी के नाम के साथ–साथ प्राधिकार द्वारा विहित तरीके से अभ्यर्थी को आवंटित निर्वाचन प्रतीक भी अंकित रहेगा। अभ्यर्थी का नाम देवनागरी लिपि में हिन्दी में वर्णानुक्रम में अंकित रहेगा। वर्णानुक्रम में अभ्यर्थी का नाम अंकित करने में निम्न प्रक्रिया अपनाई जायेगी–

- वर्णानुक्रम में किस अभ्यर्थी का नाम प्रथम अंकित किया जायेगा, वह अभ्यर्थी के प्रथम नाम (first name) के प्रथम अक्षर पर निर्भर करेगा। यदि **प्रपत्र–5** में अंकित पाँच अभ्यर्थियों में से दो अभ्यर्थियों के प्रथम नाम का प्रथम अक्षर स्वर वर्ण (यथा अमर राय तथा आनन्द सिंह) हो, तो उस स्थिति में दोनो नाम वर्णानुक्रम में सबसे ऊपर आऐंगे। इन दोनों नामों में से भी सर्वप्रथम अमर राय का नाम रहेगा और उसके पश्चात आनन्द सिंह का नाम अंकित किया जायेगा क्योंकि **अमर** का प्रथम अक्षर **अ** वर्णानुक्रम में पहले है जबकि **आनन्द** का प्रथम अक्षर **आ** बाद में आता है।

- अगर शेष तीन अभ्यर्थियों का नाम व्यंजन वर्ण में है तो उन तीन अभ्यर्थियों का नाम स्वर वर्ण से प्रारम्भ उपर्युक्त दो अभ्यर्थियों, अमर राय तथा आनन्द सिंह, के बाद अंकित किया जायेगा और इन तीन अभ्यर्थियों का नाम भी वर्णानुक्रम में अंकित किया जायेगा। मान लिया जाय इन तीन अभ्यर्थियों के नाम क्रमशः शोभा यादव, रामचन्द्र राय एवं सोहन मिश्र हैं। इन तीन अभ्यर्थियों का नाम क्रमशः वर्णानुक्रम में तीसरे स्थान पर रामचन्द्र राय, चौथे स्थान पर सोहन मिश्र तथा पाँचवें स्थान पर शोभा यादव का नाम अंकित रहेगा। तीसरे, चौथे एवं पाँचवें स्थान पर अंकित तीनों अभ्यर्थियों के प्रथम नाम का प्रथम अक्षर क्रमशः **र, स, श** से प्रारम्भ होता है। पर चूँकि **र** के बाद **स** तथा **स** के बाद **श** आता है, इसलिए रामचन्द्र राय का नाम पहले आयेगा और उसके पश्चात सोहन मिश्र का नाम एवं उसके पश्चात शोभा यादव का नाम आयेगा।

- जैसा कि ऊपर स्पष्ट किया गया है, अभ्यर्थी का प्रथम नाम के प्रथम अक्षर के आधार पर ही वर्णानुक्रम तैयार किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में वर्णानुक्रम तय करने के लिए प्रथम नाम का द्वितीय या तत्पश्चात के अक्षर को आधार नहीं माना जायेगा।

- यदि एक से अधिक अभ्यर्थियों के प्रथम नाम का प्रथम अक्षर एक ही हो, तो इन अभ्यर्थियों द्वारा दायर किये गये नामांकन पत्र, जिसे निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा वैध पाया गया है तथा अंतिम रूप से स्वीकृत किया गया है, पर अंकित क्रम संख्या के आधार पर वर्णानुक्रम तय किया जायेगा। उदाहरणस्वरूप, तीन अभ्यर्थी, यथा समीर कुमार, संजीत राय तथा संतोष मिश्र, के प्रत्येक का प्रथम नाम का प्रथम अक्षर **स** है और यह मान लिया जाय कि समीर कुमार के नामांकन पत्र पर क्रम संख्या 2, संजीत राय के नामांकन पत्र पर क्रम संख्या 6 एवं संतोष मिश्र के नामांकन पत्र पर क्रम संख्या 4 अंकित किया गया है, तो उस स्थिति में प्रपत्र–5 में सभी अभ्यर्थियों के वर्णानुक्रम में इन तीन अभ्यर्थियों का नाम जिस स्थान पर अंकित किया जाना है, उसमें इन अभ्यर्थियों में से प्रथम नाम समीर कुमार, उसके पश्चात संतोष मिश्र एवं उसके पश्चात संजीत राय का नाम अंकित रहेगा।

- ऐसा भी मामला हो सकता है जहां प्रपत्र–5 में अंकित अभ्यर्थियों में से दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों का सम्पूर्ण नाम एक ही हो, तो ऐसी स्थिति में ऊपर की कंडिका के अनुसार इन अभ्यर्थियों का आपसी वर्णानुक्रम तय किया जायेगा और तदनुसार उनका नाम प्रपत्र–5 में अंकित किया जायेगा। पर इन्हें अलग–अलग पहचान के लिए उनके नाम के समक्ष कोष्ठ में (1), (2) आदि संख्या या अन्य कोई पहचान चिह्न, यथा टोला/पिता का नाम आदि अंकित किया जायेगा जिसकी जानकारी संबंधित अभ्यर्थी को भी लिखित रूप से **प्रपत्र-6** में दी जायेगी।

(ii) प्रपत्र–6 में सूचना जारी करने के साथ–साथ संबंधित अभ्यर्थियों को **प्रपत्र-7** में सूचना दी जायेगी कि उन्हें अमुक निर्वाचन प्रतीक आवंटित किया गया है। इस प्रसंग में यह स्पष्ट किया जाता है कि निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्राधिकार द्वारा विहित तरीके से चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों को आवंटित निर्वाचन प्रतीक अंतिम होगा तथा इस प्रकार आवंटित निर्वाचन प्रतीक में प्राधिकार की पूर्वानुमति के बिना किसी प्रकार का परिवर्तन नही किया जा सकेगा। निर्वाचन प्रतीक के आवंटन के बारे में पैक्स निर्वाचन, 2009 के समय प्राधिकार की अधिसूचना संख्या 342 दिनांक 12.05.2009 द्वारा निदेश निर्गत निदेश प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समितियों के मामले में भी यथाआवश्यक संशोधनों (mutatis mutandis) सहित लागू होंगे। (प्रतिलिपि **अनुलग्नक-4** पर द्रष्टव्य)।

(iii) **निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी (प्रपत्र-5) को निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 08 एवं भारतीय दंड संहिता के दंड प्रावधानों के संबंध में एक सूचना संलग्न परिशिष्ट-1 में दी जाएगी।**

4.5. **निर्विरोध एवं सविरोध निर्वाचन** –

(i) चूँकि प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति के अध्यक्ष, पिछड़ा वर्ग से प्रबंध समिति के सदस्य एवं अति पिछड़ा वर्ग से प्रबंध समिति के सदस्य के लिए अलग–अलग एक–एक व्यक्ति निर्वाचित किया जायेगा, अतएव उक्त पदों के लिए प्रपत्र–5 में अंकित वैध अभ्यर्थी की संख्या यदि मात्र एक है तो उस परिस्थिति में संबंधित पद के लिए मतदान नहीं कराया जायेगा, बल्कि ऐसे एकमात्र अभ्यर्थी को **र्निविरोध निर्वाचित** घोषित किया जायेगा और उसके प्रमाणस्वरूप **प्रपत्र-8** में निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा संबंधित अभ्यर्थी को विधिवत निर्वाचित घोषित करते हुए उक्त प्रपत्र की

एक प्रति संबंधित अभ्यर्थी को **प्रपत्र-5 के प्रकाशन के तुरंत बाद** हस्तगत कराई जायेगी तथा इसके बारे में एक प्रतिवेदन जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स0स0)/ कम्फेड/ राज्य निर्वाचन प्राधिकार/ संबंधित मिल्क यूनियन के प्रबंध निदेशक को अविलम्ब भेज दिया जायेगा। प्रतिवेदन का प्रपत्र **अनुलग्नक 5** पर द्रष्टव्य है।

(ii) यदि उक्त पदों के लिए तैयार किये गये प्रपत्र-5 में एक से अधिक वैध अभ्यर्थियों का नाम अंकित किया गया है, तो उस स्थिति में प्राधिकार द्वारा नियत तिथि को मतदान कराया जायेगा।

(iii) उसी प्रकार अगर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि से प्रबंध समिति के सदस्य पद के लिये मात्र दो नामांकन पत्र, महिला कोटि से प्रबंध समिति के लिए मात्र दो नामांकन पत्र तथा सामान्य कोटि से प्रबंध समिति के सदस्य के लिए मात्र पाँच नामांकन पत्र वैध घोषित किये गये हैं, तो संबंधित पदों के सभी अभ्यर्थियों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया जायेगा तथा उन्हें भी प्रपत्र-8 में तदनुसार निर्वाचित हो जाने का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा। अगर उक्त पदों के लिए क्रमश: दो, दो तथा पाँच से अधिक अभ्यर्थी प्रपत्र-5 में वैध अंकित किये गये हों, तो उस स्थिति में प्राधिकार द्वारा नियत तिथि को मतदान कराया जायेगा।

(iv) अगर निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या से कम संख्या में नामांकन पत्र दाखिल किये गये हैं, तब सही नामांकन देने वाले सभी अभ्यर्थियों को निर्वाचित घोषित कर दिया जायेगा।

4.6. **कोई नामांकन पत्र दाखिल नहीं किए जाने अथवा कोई भी नामांकन पत्र वैध नहीं पाये जाने अथवा स्वीकृत किये गये सभी नामांकन पत्रों को संबंधित अभ्यर्थियों द्वारा वापस ले लिये जाने पर**

यदि नामांकन पत्र की संवीक्षा के उपरान्त या नामांकन पत्र की वापसी की अंतिम तिथि के उपरान्त ऐसा पाया जाता है कि किसी पद विशेष के लिए या तो कोई नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया गया हो या दाखिल किये गये सभी नामांकन पत्र अस्वीकृत कर दिये गये हों या स्वीकृत किये गये सभी नामांकन पत्रों को वापस ले लिया गया हो, तो उस स्थिति में निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा एक प्रतिवेदन जिला निर्वाचन पदाधिकारी(स0स0)/जिला सहकारिता पदाधिकारी/ राज्य निर्वाचन प्राधिकार को अविलम्ब भेजा दिया जायेगा और इसपर प्राधिकार के आदेशानुसार आगे की कार्रवाई की जायेगी। प्रतिवेदन का प्रपत्र **अनुलग्नक-6** पर संलग्न है।

4.7. **निर्वाचन अभिकर्त्ता/मतदान अभिकर्त्ता/मतगणना अभिकर्त्ता की नियुक्ति**

प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति निर्वाचन का प्रत्येक अभ्यर्थी अपने चुनाव कार्य के लिये अधिकतम दो निर्वाचन अभिकर्त्ता की नियुक्ति कर सकता है, जो उसके मतदान तथा मतगणना अभिकर्त्ता के रूप में भी कार्य करेगा। किन्तु, किसी एक समय एक ही व्यक्ति निर्वाचन अभिकर्त्ता/मतदान अभिकर्त्ता/मतगणना अभिकर्त्ता के रूप में कार्य कर सकता है, दूसरा व्यक्ति रिजर्व के रूप में रहेगा। अभ्यर्थी किसी भी समय अपने हस्ताक्षरित लिखित घोषणा द्वारा निर्वाचन अभिकर्त्ता/मतदान अभिकर्त्ता/मतगणना अभिकर्त्ता की नियुक्ति रद्द कर सकता है और उसकी जगह नया अभिकर्त्ता नियुक्त कर सकता है। निर्वाचन अभिकर्त्ता की निर्वाचन के पूर्व मृत्यु हो जाने की स्थिति में भी अभ्यर्थी नया अभिकर्त्ता नियुक्त कर सकता है। **जो अभ्यर्थी अपना कोई निर्वाचन अभिकर्त्ता/मतदान अभिकर्त्ता/मतगणना अभिकर्त्ता नियुक्त नहीं करना चाहे, वह ऐसा करने के लिये स्वतंत्र है।** स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी अभ्यर्थी के लिये एक ही व्यक्ति निर्वाचन अभिकर्त्ता, मतदान अभिकर्त्ता तथा मतगणना अभिकर्त्ता के रूप में कार्य करेगा। निर्वाचन अभिकर्त्ता/मतदान अभिकर्त्ता/मतगणना अभिकर्त्ता की नियुक्ति **प्रपत्र-9** में की जायेगी। **निर्वाचन अभिकर्त्ता/मतदान अभिकर्त्ता/मतगणना अभिकर्त्ता के रूप में उसी व्यक्ति की नियुक्ति की जायेगी जो संबंधित प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति का सदस्य हो, किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं।**

4.8. मतदान का प्रत्यादिष्ट (countermanded) होना

अगर प्रपत्र-5 में अंकित निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में से किसी पद विशेष के किसी अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाती है और मतदान के नियत समय के प्रारंभ होने के पूर्व उसकी मृत्यु की सूचना निर्वाचन पदाधिकारी को प्राप्त हो जाती है, तो उस अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाने संबंधी तथ्य का समाधान हो जाने पर निर्वाचन पदाधिकारी संबंधित पद के लिये मतदान को प्रत्यादिष्ट कर देंगे और इसकी सूचना जिला निर्वाचन पदाधिकारी(स0स0)/ प्राधिकार को देंगे। प्राधिकार से निदेश प्राप्त होने पर उक्त पद के लिये निर्वाचन प्रक्रिया नये सिरे से प्रारंभ की जायेगी।

स्पष्टीकरण - प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति के लिये छः तरह के पदों के लिये चुनाव कराये जा रहे हैं, और प्रत्येक पद के लिये अलग-अलग **प्रपत्र-5** तैयार किया जायेगा। अतः जिस पद विशेष के अभ्यर्थी की मृत्यु होगी, केवल उसी पद का निर्वाचन स्थागित किया जायेगा, न कि समिति के सभी पदों का। उदाहरण के लिये, अगर प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति चुनाव में महिला के लिये आरक्षित प्रबंध समिति के सदस्य पद के निर्वाचन हेतु प्रपत्र-5 में अंकित किसी महिला उम्मीदवार की मृत्यु हो जाती है और इसकी सूचना निर्वाचन पदाधिकारी को मतदान शुरू होने के पहले सम्पुष्ट रूप से प्राप्त हो जाती है, तो निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा केवल प्रबंध समिति में महिला सदस्य के लिये निर्वाचन को ही स्थगित किया जायेगा, न कि शेष पाँच पदों, यथा अध्यक्ष/अनुसूचित जाति/जनजाति से प्रबंध समिति के सदस्य/पिछड़ा वर्ग से प्रबंध समिति के सदस्य/अति पिछड़ा वर्ग से प्रबंध समिति के सदस्य एवं सामान्य कोटि से प्रबंध समिति के सदस्य पदों का निर्वाचन। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि मतदान प्रारंभ हो जाने के पश्चात अगर किसी अभ्यर्थी की मृत्यु की सूचना प्राप्त होती है तो इस आधार पर निर्वाचन प्रत्यादिष्ट नहीं किया जायेगा।

4.9. मतदाता की पहचान के आधार :-

मतदान के समय मतदाता की व्यक्तिगत पहचान सुनिश्चित करने हेतु भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत इलेक्ट्रॉनिक फोटो पहचान पत्र (EPIC) को प्राथमिक दस्तावेज माना जायेगा। इलेक्ट्रॉनिक फोटो पहचान पत्र नहीं बनने या उसकी अनुपलब्धता की स्थिति में निम्नलिखित वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक फोटोयुक्त दस्तावेज मूल रूप में प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। उन्हीं दस्तावेजों की मान्यता दी जायेगी जो 31.05.2012 या उसके पूर्व सक्षम प्राधिकारियों द्वारा निर्गत किये गये हैं :-

- पासपोर्ट
- ड्राईविंग लाइसेंस
- आयकर पहचान पत्र (PAN)
- फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र
- बैंक/ डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक और किसान पासबुक
- सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत फोटोयुक्त जाति प्रमाण पत्र
- फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेंस
- फोटोयुक्त संपति दस्तावेज, यथा पट्टा, निबंधित डीड फोटोयुक्त मूल पेंशन दस्तावेज
- फोटोयुक्त रेलवे पास
- फोटोयुक्त शारीरिक अपंगता प्रमाण पत्र
- फोटोयुक्त स्वतंत्रता सेनानी प्रमाण पत्र
- प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति के सचिव द्वारा निर्गत हिस्सा पूंजी/ शेयर जमा करने संबंधी रसीद/ सदस्यता प्रवेश शुल्क रसीद। परन्तु इसके साथ व्यक्तिगत पहचान हेतु फोटोयुक्त कोई अन्य दस्तावेज यथा फोटोयुक्त प्रोक्युरमेंट चार्ट/ दुग्ध संघ द्वारा निर्गत फोटो पहचान पत्र, यदि कोई हो, प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

- फोटोयुक्त नरेगा पारिवारिक नौकरी कार्ड
- फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड

4.10. **मतपेटी एवं मतपत्र :-**

- प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समितियों के चुनाव में स्थानीय निकायों के निर्वाचन में प्रयुक्त परम्परागत मतपेटिकाओं का उपयोग किया जायेगा।
- प्राधिकार द्वारा पैक्स निर्वाचन के समय निर्धारित प्ररूप एवं प्रकल्प के अनुसार ही मुद्रित मतपत्रों द्वारा निर्वाचन सम्पन्न कराया जायेगा।
- मतपत्र कम-से-कम 60 जीएसएम मैपलिथो कागज पर निम्न रंगों में मुद्रित किये जायेंगे -

अध्यक्ष	- सफेद कागज पर लाल रंग से अभ्यर्थी का नाम / चुनाव चिह्न एवं अन्य प्रविष्टियां मुद्रित
एस.सी./एस.टी कोटि से प्रबंधकारिणी समिति के सदस्य	- नीले रंग से मुद्रित
पिछड़ा वर्ग कोटि से प्रबंधकारिणी समिति के सदस्य	- हरा रंग से मुद्रित
अति पिछड़ा वर्ग कोटि से प्रबंधकारिणी समिति के सदस्य	- काला रंग से मुद्रित
महिला कोटि से प्रबंधकारिणी समिति के सदस्य	- कत्थई रंग से मुद्रित
सामान्य कोटि से प्रबंधकारिणी समिति के सदस्य	- नारंगी रंग से मुद्रित

- मतपत्र की विशिष्टियां वहीं होंगी जो प्राधिकार के पत्र संख्या 387 दिनांक 21.05.2009 **(अनुलग्नक-7)** द्वारा पैक्स निर्वाचन में प्रयुक्त किये जाने वाले मतपत्रों के लिए निर्गत की गयी हैं।

4.11. **वज्रगृह-**

सामान्यतया मतदान समाप्ति के पश्चात दूसरे दिन मतगणना करायी जाती है एवं मतदत्त मतपेटिकाओं (polled ballet box) को सुरक्षित रखने हेतु वज्रगृह की स्थापना की जाती है। प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति में मतदाताओं की संख्या अपेक्षाकृत कम रहने के कारण प्राधिकार ने निर्णय लिया है कि मतदान समाप्ति के तुरंत पश्चात उसी दिन मतगणना की प्रक्रिया भी आरंभ की जायेगी एवं पूरी मतगणना पूरी कर ली जायेगी। ऐसी स्थिति में मतपेटिकाओं को सुरक्षित रखने हेतु वज्रगृह बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मतदान समाप्ति के तुरंत बाद मतदत्त मतपेटिकाओं को सीधे प्रखंड भवन में स्थापित मतगणना केन्द्र पर लाया जायेगा तथा प्राधिकार के निदेशों के अनुरूप उसी दिन मतगणना सम्पन्न करायी जायेगी।

4.12. **प्रेक्षक** -

बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार नियमावली के नियम 9 के अधीन प्राप्त शक्तियों के परिप्रेक्ष्य में प्राधिकार प्रेक्षकों की नियुक्ति करेगा। इस संबंध में विस्तृत अनुदेश अलग से निर्गत किये जायेंगे।

4.13. **निर्वाचन पदाधिकारी के महत्वपूर्ण कर्त्तव्य :-**

प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति के निर्वाचन संचालन में सर्वाधिक उत्तरदायित्व निर्वाचन पदाधिकारी का है। उनके महत्वपूर्ण कार्य निम्नवत हैं -

(1) प्राधिकार द्वारा निर्धारित निर्वाचन कार्यक्रम के अनुरूप विस्तृत व्यवस्था हेतु कार्यक्रम एवं योजना बनाना।

(2) अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिये जिला निर्वाचन पदाधिकारी(स0स0) से समन्वय स्थापित कर पर्याप्त संख्या में मतपेटिकाओं एवं अन्य निर्वाचन सामग्रियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

(3) नामांकन पत्रों की प्राप्ति के क्रम में सम्पूर्ण तैयारी रखना।

(4) अभ्यर्थी द्वारा शपथ पत्र के रूप में विभिन्न सूचनाओं के प्रकाशन की व्यवस्था करना।

(5) नामांकन पत्रों की संवीक्षा करना तथा अभ्यर्थिता वापस लेने की तिथि के उपरांत प्राधिकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप प्रतीक आवंटन करना।

(6) लिपिकीय त्रुटियों अथवा असारभूत आक्षेपों के आधार पर किसी अभ्यर्थी का नामांकन अस्वीकृत नहीं करना।

(7) अभ्यर्थिता वापसी की सूचना देने वाले व्यक्ति के संबंध में आश्वस्त हो लेना कि वह स्वयं अभ्यर्थी ही है, कोई अन्य व्यक्ति नहीं।

(8) सम्यक रूप से नाम निर्देशित एवं निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची प्रकाशित करना।

(9) निर्वाचन कर्त्तव्य एवं मतपेटिकाओं के संचालन पर सभी कर्मियों को प्रशिक्षित करना।

(10) प्रेक्षक को उनके कर्त्तव्यों के निष्पादन में आवश्यक सहयोग प्रदान करना।

(11) निर्वाचन कार्य का सम्पूर्ण पर्यवेक्षण।

(12) संपत्ति का विरूपण करने वाले व्यक्तियों पर तुरंत कार्रवाई करना।

(13) अभ्यर्थियों द्वारा किये जा रहे निर्वाचन व्यय पर गहरी नजर रखना।

(14) चुनाव के दिन मतदान का पर्यवेक्षण करना एवं पीठासीन पदाधिकारी से प्राप्त मतपेटिकाओं/अन्य निर्वाचन कागजातों को आवश्यकतानुसार बज्रगृह में सुरक्षित रखवाना।

(15) मतगणना कराना।

(16) परिणाम की घोषणा करना।

(17) परिणाम की घोषणा के उपरांत सभी मतपेटिका, निर्वाचन कागजात एवं निर्वाचन सामग्री को जिला निर्वाचन पदाधिकारी(स0स0) के आदेश के अधीन सुरक्षित रखवाना।

निर्वाचन पदाधिकारी को जिला निर्वाचन पदाधिकारी(स०स०)/उप जिला निर्वाचन पदाधिकारी/प्रेक्षक से गहरे संपर्क एवं समन्वय के साथ कार्य करना होगा ताकि उनके निर्वाचन क्षेत्र के लिये उपयुक्त व्यवस्था में कोई त्रुटि नहीं हो।

4.14. **जिला निर्वाचन पदाधिकारी(स०स०) द्वारा की जाने वाली व्यवस्थाएँ :-**

निर्वाचन के संचालन हेतु कुछ महत्वपूर्ण व्यवस्थाएँ जिला निर्वाचन पदाधिकारी(स॰स॰) द्वारा की जायेंगी -

(1) प्राधिकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार से मतदान केन्द्रों की स्थापना सुनिश्चित करना।

(2) मतदान दलों का गठन एवं प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिये पीठासीन पदाधिकारी एवं मतदान पदाधिकारियों की नियुक्ति।

(3) मतदान कर्मियों(रिजर्व सहित) के लिये गहन प्रशिक्षण की व्यवस्था।

(4) जिले के प्रत्येक मतदान केन्द्र पर मतदान के लिये सशस्त्र बल की व्यवस्था कराना।

(5) आवश्यक मतपत्र सहित निर्वाचन सामग्रियों की व्यवस्था करना।

(6) निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्यय से संबंधित लेखा की ससमय जाँच सुनिश्चित करवाना एवं प्राधिकार को प्रतिवेदन देना।

(7) निर्वाचन परिणाम की घोषणा के पश्चात विहित समयावधि तक मतपेटिकायों, निर्वाचन कागजात एवं निर्वाचन सामग्री की सुरक्षित अभिरक्षा।

(8) बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 के अधीन उल्लिखित निर्वाचन अपराधों के निवारण हेतु आवश्यक कार्रवाई करना।

5. **निर्वाचन से जुड़े अधिकारियों के सहायतार्थ प्राधिकार के सम्पर्क-सूत्र :-**

निर्वाचन संबंधी किसी भी भ्रम/ समस्या के समाधान हेतु निम्न मोबाईल नम्बरों/ साईटों पर संपर्क किया जा सकता है :-

श्री रघुवंश कुमार सिन्हा, परामर्शी	–	9431625577
श्री वीरेन्द्र कुमार, सचिव	–	8987170868
श्री विनय कुमार, अवर सचिव	–	9334068054
राज्य निर्वाचन प्राधिकार का कार्यालय	–	0612.2231563 2231562 (Fax) 2215089 (Fax)
ई–मेल	-	bseapatna@gmail.com
वेबसाईट	-	www.bsea.bih.nic.in

निर्वाचन संबंधी सभी निदेश प्राधिकार के उपर्युक्त वेबसाईट पर उपलब्ध हैं। नामांकन पत्र एवं अन्य प्रपत्र/ अभिलेख वेबसाईट से डाउनलोड किये जा सकते हैं।

6. इस पत्र के साथ निम्न अनुलग्नक/अनुसूची /प्रपत्र/परिशिष्ट-1 की नमूना प्रति संलग्न है –

(i) अनुलग्नक–1(प्राधिकार की अधिसूचना संख्या 6476 दिनांक 12.05.2012)

(ii) अनुलग्नक–2(प्राधिकार की अधिसूचना संख्या 6477 दिनांक 12.05.2012)

(iii) अनुलग्नक–3(मतदाता सूची की तैयारी से संबंधित निदेश)

(iv) अनुलग्नक–4(निर्वाचन प्रतीक के आवंटन के संबंध में प्राधिकार की अधिसूचना सं॰ 342 दिनांक 12.05.2009)

(v) अनुलग्नक–5(निर्विरोध निर्वाचन की सूचना)

(vi) अनुलग्नक–6(कोई नामांकन पत्र दाखिल नहीं किये जाने/कोई भी नामांकन वैध नहीं पाये जाने/स्वीकृत सभी नामांकन पत्र वापस ले लिये जाने की स्थिति में सूचना का प्रपत्र)

(vii) अनुलग्नक–7 (मतपत्र के प्ररूप एवं प्रकल्प के संबंध में प्राधिकार के पत्रांक 387 दिनांक 21.05.2009)

(viii) अनुसूची–1 (चेकलिस्ट)

(ix) प्रपत्र–1 (सूचना का प्रपत्र)

(x) प्रपत्र–2 (नामांकन पत्र)

(xi) प्रपत्र–क (शपथ पत्र एवं एनेक्सचर)

(xii) प्रपत्र–ख (बायोडाटा)

(xiii) प्रपत्र–ग (मतदाता होने का घोषणा पत्र)

(xiv) प्रपत्र–घ (दाखिल नामांकन पत्रों की विवरणी)

(xv) प्रपत्र–3 (अभ्यर्थिता वापसी की सूचना)

(xvi) प्रपत्र–4 (अभ्यर्थिता वापस लेने वाले अभ्यर्थियों की सूची)

(xvii) प्रपत्र–5 (विधिमान्य अभ्यर्थियों की सूची)

(xviii) प्रपत्र–6 (नाम समान रहने पर पहचान हेतु आवंटित चिह्न)

(xix) प्रपत्र–7 (प्रतीक आवंटन की सूचना)

(xx) प्रपत्र–8 (निर्वाचन प्रमाण पत्र)

(xxi) प्रपत्र–9 (निर्वाचन अभिकर्त्ता/मतदान अभिकर्त्ता/मतगणना अभिकर्त्ता की नियुक्ति)

(xxii) परिशिष्ट-1(निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 08 एवं भारतीय दंड संहिता के दंड प्रावधानों के संबंध में सूचना)

(xxiii) परिशिष्ट-2(प्राधिकार का पत्र संख्या 519 दिनांक 18.03.2010 : बकाया रहित प्रमाण-पत्र निर्गत करने के संबंध में।)

(xxiv) परिशिष्ट-3(प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति की सूची, जिनकी मतदाता सूची अंतिम रूप से प्रकाशित कर दी गई।)

7. कृपया इस परिपत्र की पर्याप्त प्रतियाँ अपने स्तर पर तैयार कर अपने जिला अन्तर्गत संबंधित सभी निर्वाचन पदाधिकारियों को तुरंत उपलब्ध करा दी जाय। प्रपत्रों के मुद्रण की व्यवस्था भी जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स०स०) द्वारा की जायेगी तथा उसे पर्याप्त संख्या में निर्वाचन पदाधिकारियों को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

विश्वासभाजन,

(एन० एस० माधवन)
मुख्य चुनाव पदाधिकारी

ज्ञापांक : 8933 /पटना, दिनांक 15 जून, 2012

प्रतिलिपि-प्रबंध निदेशक, वैशाल पाटलिपुत्र दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ, पटना/ मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, समस्तीपुर/ तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, मुजफ्फरपुर/ देशरत्न डा० राजेन्द्र प्रसाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, बरौनी/ शाहाबाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, आरा/ विक्रमशीला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। कृपया अपने स्तर से पत्र की प्रतिलिपि संबंधित प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति को आम जानकारी हेतु उपलब्ध करा देने की सुनिश्चित व्यवस्था की जाय।

मुख्य चुनाव पदाधिकारी

ज्ञापांक : 8933 /पटना, दिनांक 15 जून, 2012

प्रतिलिपि- प्रबंध निदेशक, कम्फेड, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मुख्य चुनाव पदाधिकारी

ज्ञापांक : 8933 /पटना, दिनांक 15 जून, 2012

प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/ सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/ सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ प्रमंडलीय आयुक्त, पटना/ मगध/ तिरहुत/ सारण/ भागलपुर/ मुंगेर/ दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मुख्य चुनाव पदाधिकारी

अनुलग्नक -5
निर्विरोध निर्वाचन की स्थिति में सूचना

सेवा में,

राज्य निर्वाचन प्राधिकार, बिहार, पटना।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी(स०स०)

सूचित करना है कि .... प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति के .... पद के लिये श्री/श्रीमती................................., पता ....निर्विरोध निर्वाचित हो गये/गयी है और इस उपलक्ष्य में उन्हें प्रपत्र-8 में निर्वाचन प्रमाण-पत्र हस्तगत करा दिया गया है।

तिथि -

निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर

अनुलग्नक -6

कोई नामांकन पत्र दाखिल नहीं किये जाने/दाखिल किये गये सभी नामांकन पत्र अस्वीकृत हो जाने/स्वीकृत किये गये सभी नामांकन पत्रों को वापस ले लिये जाने की स्थिति में भेजी जाने वाली सूचना

सेवा में,

राज्य निर्वाचन प्राधिकार, बिहार, पटना।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स०स०)

सूचित करना है कि ....प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति के .... पद के लिये कोई नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया गया है/दाखिल किये गये सभी नामांकन पत्र अस्वीकृत कर दिये गये है/स्वीकृत किये गये सभी नामांकन पत्र संबंधित अभ्यर्थियों द्वारा वापस ले लिये गये है।* फलस्वरूप उक्त पद के लिये तत्काल कोई निर्वाचन नहीं कराया जा रहा है। कृपया अग्रेतर निदेश देना चाहेंगे।

तिथि -

निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर

---

* जो लागू नहीं हो, उसे काट दें।

अनुसूची-1

नामांकन पत्र की समीक्षा हेतु चेक-लिस्ट

(यह पदवार तैयार की जायेगी)

क्रमांक	विषय	लगायें
1	2	3
1	क्या नामांकन पत्र प्रपत्र 2 में दाखिल किया गया है?	
2	क्या अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, उम्र तथा पता अंकित किया गया है?	
3	क्या प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति का नाम तथा उसकी मतदाता सूची जिसमें अभ्यर्थी का नाम दर्ज है, की क्रम संख्या अंकित की गयी है?	
4	क्या प्रस्तावक उस प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति का है जिस प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति के लिए अभ्यर्थी नामांकन पत्र दाखिल करना चाहता है, अगर हाँ तो क्या प्रस्तावक का मतदाता सूची की क्रम संख्या नामांकन पत्र में अंकित की गयी है?	
5	क्या प्रस्तावक का हस्ताक्षर है?	
6	क्या समर्थक उस प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति का है जिस प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति के लिए अभ्यर्थी नामांकन पत्र दाखिल करना चाहता है, अगर हाँ तो क्या समर्थक का मतदाता सूची की क्रम संख्या नामांकन पत्र में अंकित की गयी है?	
7	क्या समर्थक का हस्ताक्षर है?	
8	क्या नामांकन पत्र के अन्त में अभ्यर्थी की घोषणा अंकित है तथा अभ्यर्थी द्वारा हस्ताक्षर किया गया है और तिथि भी अंकित किया गया है?	
9	प्रपत्र-ग में मतदाता होने से संबंधित घोषणा पत्र दाखिल किया गया है?	
10	अगर अभ्यर्थी द्वारा आरक्षित कोटि(अनु0जाति/अनु0जनजाति/पिछड़ा वर्ग/ अति पिछड़ा वर्ग)से नामांकन पत्र दिया गया है, तो क्या सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है?	
11	क्या प्रपत्र-'क' में शपथ पत्र पर वांछित सूचनाएं दी गई हैं तथा क्या उसपर अभ्यर्थी एवं गवाह का हस्ताक्षर अंकित है?	
12	क्या अभ्यर्थी बिहार सहकारी सोसाइटी नियमावली, 1969 के नियम 23(1) के किसी अयोग्यता अथवा समिति की उपविधियों में अंकित किसी अयोग्यता के अधीन है?	
13	क्या प्रपत्र-'ख' में अभ्यर्थी के बारे में आवश्यक विवरणी दाखिल की गयी है?	
14	क्या अभ्यर्थी द्वारा विहित अवधि में पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 5 बजे के बीच नामांकन पत्र दाखिल किया गया है?	
15	क्या अभ्यर्थी द्वारा व्यक्तिगत रूप से नामांकन पत्र दाखिल किया गया है?	

प्रपत्र-1
सूचना का प्रपत्र

जिला ...., प्रखंड.........................के प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति ...., निबंधन संख्या............................., पता ....के अध्यक्ष तथा प्रबंधकारिणी कमिटी के सदस्यों का निर्वाचन दिनांक.........................को किया जाना है,

मैं..निर्वाचन पदाधिकारी एतद द्वारा निम्नलिखित आम सूचना देता हूँ :-
(निर्वाचन पदाधिकारी का नाम)

आम सूचना

(i) निर्वाचित होने वाले व्यक्तियों की संख्या 13 है, जिसका विस्तृत विवरण निम्नवत है -

पद	निर्वाचित किये जाने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या
1.	2.
अध्यक्ष	01 (अनारक्षित)
प्रबंधकारिणी समिति के सदस्य	12
• एस.सी./एस.टी कोटि	02 पद (आरक्षित)
• महिला कोटि	02 पद (आरक्षित)
• पिछड़ा वर्ग कोटि	01 पद (आरक्षित)
• अति पिछड़ा वर्ग कोटि	01 पद (आरक्षित)
• सामान्य कोटि	06 पद (अनारक्षित)

(ii) नामांकन पत्र अद्योहस्ताक्षरी को उनके कार्यालय...................................अथवा अपरिहार्य कारणों से उसे प्राप्त नहीं कर
(स्थान का नाम)
सकने की स्थिति में...को..पर दाखिल किया जा सकता
(उप निर्वाचन पदाधिकारी का नाम) (स्थान का नाम)
है। नामांकन पत्र दिनांक .... 11 बजे पूर्वाह् से 5 बजे अपराह्न तक प्रस्तुत किया जा सकता है।
(नामांकन पत्र दाखिला की तिथि)

(iii) नामांकन पत्र का प्रपत्र उपरोक्त पदाधिकारियों के कार्यालय से दिनांक.........................से दिनांक......................तक ....बजे से............................बजे तक प्राप्त किया जा सकता है।

(iv) नामांकन पत्रों की संवीक्षा दिनांक......................को..पर 11 बजे पूर्वाह्न में प्रारंभ होगी।
(स्थान का नाम)

(v) अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना दिनांक.....................को अपराह्न 2 बजे के पूर्व तक ....पर
(स्थान का नाम)
दाखिल की जा सकती है। अभ्यर्थिता वापसी की तिथि एवं समय के बीत जाने के तुरंत बाद विधिमान्य रूप से नामांकित सभी अभ्यर्थियों को प्राधिकार के निदेश के आलोक में निर्वाचन प्रतीक चिह्न का आवंटन भी किया जायेगा।

(vi) सविरोध निर्वाचन की स्थिति में मतदान दिनांक..................को 07 बजे पूर्वाह्न से 02 बजे अपराह्न तक होगा।

(vii) मतदान केन्द्र .... (पुरा पता) में अवस्थित होगा।

(Viii) मतगणना दिनांक.................को ....बजे से..पर की जायेगी।
(स्थान का नाम)

स्थान-

तिथि - निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

प्रपत्र–2

नामांकन पत्र

1.	पद का नाम, जिस पर निर्वाचित होना चाहते हों।	
2.	सहकारी सोसाइटी का पूरा निर्बंधित नाम, जिससे पद संबंधित है।	
3.	**अभ्यर्थी का**	
	(i) मतदाता सूची में क्रमांक	
	(ii) पूरा नाम (जैसा कि मतदाता सूची में है)	
4.	(i) पिता का नाम (पुरूष एवं अविवाहित स्त्री अभ्यर्थी की स्थिति में)।	
	(ii) पति का नाम (विवाहित स्त्री अभ्यर्थी की स्थिति में)।	
5.	**प्रस्तावक का**	
	(i) मतदाता सूची में क्रमांक	
	(ii) पूरा नाम (जैसा कि मतदाता सूची में है)	
	(iii) हस्ताक्षर या अँगूठे का निशान	
6.	**समर्थक का**	
	(i) मतदाता सूची में क्रमांक	
	(ii) पूरा नाम (जैसा कि मतदाता सूची में है)	
	(iii) हस्ताक्षर या अँगूठे का निशान	

अभ्यर्थी की घोषणा

मैं यह घोषित करता/करती हूँ कि मैं निर्वाचन लड़ने के लिए इच्छुक हूँ और मैं नियमावली तथा सोसाइटी की उपविधियों के अनुसार उपर्युक्त पद के लिए, जिसका मैं अभ्यर्थी हूँ, निर्वाचन लड़ने के योग्य हूँ।

तिथि– अभ्यर्थी का हस्ताक्षर या अँगूठे का निशान

(निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा भरा जायेगा)

क्रमांक......................

यह नामांकन पत्र मुझे मेरे कार्यालय... (स्थान का नाम)...में दिनांक.........................को.................... बजे पूर्वाह्न/अपराह्न अभ्यर्थी द्वारा दिया गया।

तिथि– निर्वाचन पदाधिकारी/उप निर्वाचन पदाधिकारी

स्थान – का हस्ताक्षर

संवीक्षा का प्रमाण–पत्र

मैंने अभ्यर्थी, प्रस्तावक एवं समर्थक की अर्हता का परीक्षण कर लिया है और मैं पाता हूँ कि वे क्रमशः निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने तथा उसे प्रस्तावित एवं समर्थन करने योग्य हैं।

स्थान :

तिथि : निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

....छिद्रण...

नामांकन पत्र की प्राप्ति रसीद और संवीक्षा की सूचना
(नामांकन पत्र प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को दी जाने के लिये)

नामांकन पत्र का अनुक्रमांक : ....

श्री / सुश्री / श्रीमती ...., जो प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति .... के ....पद के निर्वाचन के लिये एक अभ्यर्थी है, का नामांकन पत्र मुझे दिनांक .... को .... बजे पूर्वाह्न / अपराह्न में अभ्यर्थी द्वारा परिदत्त किया गया। इस नामांकन पत्र की संवीक्षा दिनांक .... को .... बजे पूर्वाह्न / अपराह्न (स्थान का नाम) ....में की जायेगी।

निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

प्रपत्र-क

(शपथ-पत्र एवं एनेक्सर जो नामांकन पत्र के साथ दिया जायेगा)

शपथ-पत्र

मैं,..पिता/पति...उम्र.................वर्ष, मोहल्ला...............................पोस्ट........................थाना.........................जिला......................, बिहार का निवासी हूँ तथा शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ :-

कि मैं अपना नामांकन पत्र प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति ....के .... (पदनाम) ....पद के निर्वाचन हेतु दाखिल कर रहा/रही हूँ;

कि मैं बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 (यथा संशोधित) की धारा 44 खच(3) के उपबन्धों से पूर्णतः अवगत हूँ;

कि मैं बिहार सहकारी सोसाइटी नियमावली, 1959 के नियम 23(1) के तहत .... प्रखंड प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति के .... (पदनाम) पद के रूप में निर्वाचन के लिए अनर्हित नहीं हूँ;

कि मैं प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड की उपविधियाँ के नियम-36 के अधीन निर्वाचन लड़ने हेतु योग्य हूँ;

कि संलग्न एनेक्सर में मेरे द्वारा अंकित की गई सूचनाएँ मेरे विश्वास एवं जानकारी में सही और सत्य हैं।

1. गवाह का पूर्ण हस्ताक्षर..
   पता...

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

2. गवाह का पूर्ण हस्ताक्षर..
   पता ....

स्थान :
दिनांक :

जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

नोटः-कार्यपालक दण्डाधिकारी/नोटरी पब्लिक/ओथ कमिश्नर के समक्ष शपथ लिया जायेगा।

प्रपत्र-क का एनेक्सचर

..........................जिला के प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति ....से अध्यक्ष एवं प्रबंधकारिणी कमिटी के सदस्य पद का निर्वाचन।

अभ्यर्थी का नाम : .... पिता/पति का नाम : ....

1. **(क)** क्या आप किसी न्यायालय द्वारा कभी दंडित किये गये हैं	
यदि हाँ, तो निम्न विवरण अंकित करें :-	
(i) न्यायालय का नाम जिसके द्वारा दंडित किये गये	
(ii) दंडित किये जाने की तिथि	
(iii) किये गये अपराध की प्रकृति-(अधिनियम एवं धाराओं का विवरण सहित)	
(iv) दिया गया दण्ड	
(v) कराधीन रहने की अवधि, यदि कोई हो	
(vi) कारावास से मुक्त होने की तिथि	
1. (ख) उपरोक्त दण्डादेश के विरूद्ध कोई अपील/पुनर्विचार का आवेदन दायर किया गया है या नहीं ?	
(i) अपील संख्या/पुर्नविचार आवेदन पत्र, यदि कोई हो, का विवरण-	
(ii) न्यायालय का नाम जिसके समक्ष अपील/पुर्नविचार आवेदरन पत्र दायर किया गया	
(iii) क्या दायर अपील/पुर्नविचार आवेदन पत्र निष्पादित हो चुका है अथवा लम्बित है	
(iv) यदि निष्पादित है, तो	
(क) निष्पादन की तिथि-	
(ख) पारित आदेश का संक्षिप्त विवरण-	
(v) क्या अपील/पुर्नविचार आवेदन पत्र के विचारण के दौरान कोई जमानत दिया गया	
(vi) यदि हाँ, तो जमानत पर मुक्त रहने की अवधि-	
2. क्या आप किसी न्यायालय द्वारा कभी दंडित किये गये हैं?	
क्या आपके विरूद्ध किसी मामले में संज्ञान लिया गया है? यदि हाँ, तो निम्न विवरण दें	
(i) अधिनियम की धारा और अभियोग का विवरण जिसके लिये आरोपित है/संज्ञान लिया गया है	
(ii) न्यायालय जिसने आरोप तैयार किया है/संज्ञान लिया है	
(iii) अपराध संख्या	
(iv) आरोप तैयार करने/संज्ञान लेने का न्यायालय के आदेश का दिनांक	
(v) उपर्युक्त आरोप तैयार करने/संज्ञान लेने के विरूद्ध अपील(अपीलों)/पुनर्विलोकन का प्रार्थना पत्र (पत्रों) यदि कोई हो तो उसका विवरण	
2. **(क)** क्या आपमें बिहार सहकारिता सोसाइटी नियमावली, 1959 के नियम 23(1) में उल्लिखित निम्नलिखित अयोग्यताएँ हैं -	
(i) आप नामांकन भरने की तिथि को अपने द्वारा लिये गये किसी प्रकार के ऋण के संबंध में उप विधियों में यथाविहित अवधि के लिए या किसी भी हालत में तीन माह से अधिक की अवधि के लिए सोसायटी का व्यतिक्रमी हों या किसी अन्य बकाये के संबंध में सोसायटी का व्यतिक्रमी भी हो या किसी अन्य रजिस्ट्रीकृत सोसायटी का व्यतिक्रमी हैं, अथवा	
(ii) आपको सोसायटी में किये गये किसी निवेश अथवा उससे लिये गये किसी ऋण को छोड़कर सोसायटी के साथ किये गये किसी अस्तित्वयुक्त संविदा में या सोसायटी द्वारा बेची गयी या खरीदी गयी किसी सम्पति में अथवा सोसायटी में किसी संव्यवहार में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से हित है, अथवा	
(iii) आपके विरुद्ध किसी रजिस्ट्रीकृत सोसायटी से संबंधित अधिभार की कोई कार्यवाही लंबित हो, अथवा	
(iv) आपके विरुद्ध रजिस्ट्रीकृत सोसायटी, जिसकी प्रबंध समिति में निर्वाचित होने के लिए आप उम्मीदवार हैं, के किसी संव्यवहार से संबंधित कोई जांच-पड़ताल लंबित हो, अथवा	
(v) आपके विरूद्ध किसी रजिस्ट्रीकृत सोसायटी के किसी संव्यवहार से संबंधित कोई दांडिक कार्यवाही लंबित हो, जिसमें संज्ञान ले लिया गया है।	
2. **(ख)** अगर हाँ, तो कंडिकावार स्पष्ट उल्लेख करे 2. **(ग)** क्या आपमें प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति की उपविधियाँ के नियम-36 के अधीन निर्वाचन लड़ने हेतु निम्न योग्यताएँ मौजूद हैं - (1) उनके जिम्मे समिति का कोई भी रकम किस्त खिलाफ न हो।	

(2) वह प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से समिति के साथ ठीका का काम न करता हो या समिति द्वारा बेचे या खरीदे जाने वाले किसी जायदाद या किसी लेन-देन में (समिति में धन लगाने को छोड़कर) उनका संबंध न हो। (3) किसी भी कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत वह अयोग्य न हो तथा इस समिति या अन्य संस्थान में धन के दुरूपयोग तथ कुप्रबंध के लिए दोषी नहीं ठहराया गया हो। (4) वह किसी भी समिति का बिहार को-आपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1935 की धारा 40, 45 एवं 46 के अंतर्गत जिम्मेवार नहीं ठहराया गया हो, अथवा उसे विरूद्ध अधिभार(सरचार्ज) की कार्यवाही लंबित न हो या समिति के किसी लेन-देन संबंधी जांच लंबित न हो। (5) वह इस समिति या अन्य किसी भी समिति का वेतनभोगी कर्मचारी नहीं हो तथा समिति के किसी वेतनभोगी कर्मचारी का रिश्तेदार न हो। (6) वह या उसके संयुक्त परिवार का कोई भी व्यक्ति समिति के द्वारा किये जाने वाले कारोबार के सामान कारोबार नहीं करता हो (ठीका या उप ठीका) अथवा ऐसे संस्था में साझेदार न हो। (7) उसके पास दुधारू गाय/ भैंस है तथा उसने समिति के माध्यम से गत सहकारिता वर्ष में दूध बेचा हो। (8) गत लगातार तीन वर्षों में उसके विरूद्ध समिति का बकाया वसूल करने के लिए कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई हो। (9) उसने गत तीन वर्षों में समिति में वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में कार्य नहीं किया हो। 2. **(घ)** अगर नहीं तो, कंडिकावार स्पष्ट करें।	

3. अपनी परिसम्पति अपने पति/पत्नी एवं आश्रितों सहित का विवरण निम्नवत है :-

(क) अचल सम्पति

क्रमांक	विवरणी		कृषि भूमि	शहरी भूमि	भवन
1	अपनी	मौजा एवं थाना नंबर			
		अंचल			
		रकबा			
2	पति / पत्नी	मौजा एवं थाना नंबर			
		अंचल			
		रकबा			
3	आश्रित	मौजा एवं थाना नंबर			
		अंचल			
		रकबा			
	कुल जमीन का अनुमानित मूल्य (रूपये में)				

(ख) चल सम्पति (रूपये में)

क्रमांक	विवरणी	वर्तमान कीमत (रूपये में)
1	नकद	
2	बैंक बैलेन्स	
3	फिक्स डिपोजिट	
4	बॉण्ड	
5	शेयर	
6	वाहन का मॉडल, वर्ष एवं मूल्य	
7.	आभूषणों का मूल्य	
	कुल	

4.	अपने पति/पत्नी एवं आश्रितों सहित के दायित्वों/वित्तीय संस्थाओं के बकायों का पूर्ण विवरण दिए जाएं (वित्तीय संस्था/बैंक/सरकार/आयकर/वेल्थ टैक्स/प्रोपर्टी टैक्स/बिक्री कर संबंधी बकाया)	1. 2. 3.

5. शैक्षणिक योग्यता का विवरण।

क्रमांक	**परीक्षा उत्तीण**	**स्कूल / कॉलेज / विश्वविद्यालय का नाम**	**उत्तीणता वर्ष**	**अभ्युक्ति**
1				
2				
3				
4				
5				

स्थान :

तिथि : **अभ्यर्थी का हस्ताक्षर**

नोट:- सभी स्तम्भ निश्चित रूप से भरे जायें। जहाँ शून्य विवरण देना हो वहाॅ ''शून्य'' अवश्य अंकित किया जाय। स्तम्भ खाली छोड़ देने अथवा (x) चिन्ह अंकित करने पर यह माना जायेगा कि अभ्यर्थी द्वारा सूचना छिपाने की चेष्टा की गई है और यह नामांकन पत्र रद्द करने का आधार बन सकता है।

प्रपत्र-ख

अभ्यर्थी का बायोडाटा

(नामांकन पत्र के साथ दिया जाएगा)

जिला : .... प्रखंड : .... प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति : ....

1	अभ्यर्थी का नाम		
2	पिता/पति का नाम		
3	पता		
4	दूरभाष संख्या/मोबाईल नं०		
5	जन्म तिथि		
6	शैक्षणिक योग्यता		
7	विवाहित/ अविवाहित :	8. पुरूष / महिला	
9	संतान की संख्या :	लड़का :	लड़की :
10	जाति सामान्य/ पिछड़ा वर्ग (एनेक्सर-2)/ अति पिछड़ा वर्ग (एनेक्सचर-1) अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति		
11	पेशा		
12	वार्षिक आय		
13	किस विषय (कला/ संस्कृति/ समाजसेवा आदि) में विशेष रूचि रखते हैं		
14	क्या पूर्व में किसी स्थानीय निकाय (पंचायत या नगरपालिका आदि) के सदस्य रहे हैं? अगर हाँ, तो पद एवं अवधि का उल्लेख करे।		
15	क्या पूर्व में किसी सहकारी समिति के अध्यक्ष/सदस्य आदि रहे हैं? अगर हाँ, तो पद सहित अवधि का उल्लेख करे।		

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

प्रपत्र-ग

मतदाता होने की घोषणा

मैं...पिता/पति.......................................उम्र..................वर्ष..................... थाना................................जिला...............................बिहार का निवासी हूँ, घोषणा करता/करती हूँ :-

* कि मेरा नाम प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति .... की मतदाता सूची के क्रमांक................पर दर्ज है तथा इसके अलावे राज्य के अन्य किसी प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति के लिए गठित मतदाता सूची में मेरा नाम दर्ज नहीं है; या

* कि मेरा नाम निम्नलिखित प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति के गठित मतदाता सूची में भी दर्ज है;

क्रमांक	जिला का नाम	प्रखंड का नाम	प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति का नाम	मतदाता सूची का क्रमांक
1	2	3	4	5

कि मैं सिर्फ जिला................................, प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति....................................... के निर्वाचन क्षेत्र के लिए गठित मतदाता सूची, जिसमें मेरा नाम दर्ज है, के मतदाता के रूप में निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी होने का अधिकार एवं मताधिकार का उपयोग करूँगा/करूँगी तथा मैं किसी अन्य प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति, जिसके लिए गठित मतदाता सूची में भी मेरा नाम दर्ज है, में निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी अथवा मतदाता के रूप में अपने अधिकार का उपयोग नही करूँगा।

स्थान-　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

दिनांक-

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

प्रपत्र-घ

दाखिल नामांकन पत्रों की विवरणी
(यह पदवार तैयार की जायेगी)

जिला .... प्रखंड..................... प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति ....

क्रमांक	पद का नाम	अभ्यर्थी का नाम एवं पता	पिता/पति का नाम	प्रस्तावक का नाम एवं पता	समर्थक का नाम एवं पता
1	2	3	4	5	6

तिथि –

निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

प्रपत्र-3

अभ्यर्थिता वापसी की सूचना

1. पद का नाम, जिसके लिए नामांकन भरा गया है ....
2. प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति का पूरा निबंधित नाम, जिससे पद संबंधित है।
3. अभ्यर्थी का –
   (i) मतदाता सूची में क्रमांक ....
   (ii) पूरा नाम (जैसा कि मतदाता सूची में है) ....
   (iii) क्या वह सहकारी सोसाइटी का व्यक्तिगत सदस्य है?
   (iv) क्या वह किसी सम्बद्ध सोसाइटी/निकाय या प्राधिकारी का प्रतिनिधि है? यदि हाँ, तो उस सोसाइटी/ निकाय/ प्राधिकारी का नाम –
4. (i) पिता का नाम (पुरूष एवं अविवाहित स्त्री अभ्यर्थी की स्थिति में)।
   (ii) पति का नाम (विवाहित स्त्री अभ्यर्थी की स्थिति में)।

मैं, उपर्युक्त पद/सीट के लिए निर्वाचन लड़ना नहीं चाहता/चाहती हूँ और तदनुसार बिना किसी दुःख या दबाव के मैं अपनी उम्मीदवारी वापस लेता/लेती हूँ।

यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर/अँगूठे का निशान

इस वापसी की सूचना मुझे मेरे कार्यालय में दिनांक..........................को........................बजे पूर्वाह्न/अपराह्न में अभ्यर्थी द्वारा परिदत्त की गयी है।

निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

वापसी की सूचना के लिए रसीद

(सूचना देने वाले अभ्यर्थी को दिये जाने के लिए)

श्री/सुश्री/श्रीमती,.., जो प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति ....के .... पद के निर्वाचन हेतु विधिमान्य रूप से नाम निर्दिष्ट अभ्यर्थी है, द्वारा अभ्यर्थिता वापसी की सूचना मुझे अभ्यर्थी द्वारा मेरे कार्यालय में दिनांक......................को........................बजे पूर्वाह्न/अपराह्न में दी गई जिसकी प्राप्ति स्वीकार की जाती है।

तिथि– निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

स्थान–

प्रपत्र-4
अभ्यर्थिता वापस लेने वाले अभ्यर्थियों की सूची
(यह पदवार अलग-अलग तैयार की जायेगी)

प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति............................ पद-..................................

एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति ....
..........के अध्यक्ष/ प्रबंधकारिणी समिति के पद के लिए दाखिल नामांकन पत्रों में से निम्नांकित अभ्यर्थी/अभ्यर्थियों द्वारा अपनी अभ्यर्थिता वापस ले ली गई है :-

पद का नाम	अभ्यर्थी का नाम एवं पता	पिता/पति का नाम
1	2	3

तिथि -

स्थान-

निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

प्रपत्र-5

विधिमान्य अभ्यर्थियों की सूची

(यह पदवार तैयार की जायेगी)

जिला ....   प्रखंड......................................

प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति .... पद का नाम................................

क्रमांक	पद का नाम	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	अभ्यर्थी का पता	आवंटित चिह्न
1	2	3	4	5	6

दिनांक –   निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

प्रपत्र-6

अभ्यर्थियों का नाम समान (Identical) रहने पर पहचान हेतु आवंटित चिह्न

सेवा में,

श्री/श्रीमती/सुश्री..

....

....

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति .... के अध्यक्ष/ प्रबंधकारिणी समिति के सदस्य पद के लिए दाखिल नामांकन पत्रों की संवीक्षा उपरान्त निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में निम्नांकित अभ्यर्थियों का नाम समान (Identical) है।

इन अभ्यर्थियों की स्पष्ट एवं अलग अलग पहचान के लिए निम्न स्तंभ 1 में अंकित अभ्यर्थी स्तंभ 2 में अंकित नाम से जाने जायेंगे।

क्रमांक	स्तंभ–1	स्तंभ–2
1.	नाम... पता..	नाम......................................
2.	नाम... पता..	नाम......................................
3.	नाम... पता..	नाम......................................

दिनांक –

निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

कार्यालय निर्वाचन पदाधिकारी :
प्रपत्र-7
प्रतीक आवंटन की सूचना

.... प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति

प्रेषित,

....
....
....

विषय : प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति निर्वाचन, 2012 : निर्वाचन प्रतीक आवंटन की सूचना।

उपर्युक्त विषयक एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपका नाम प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति ....के अध्यक्ष/ प्रबंधकारिणी समिति के सदस्य पद हेतु दिनांक.......................... को होने वाले निर्वाचन के लिए अभ्यर्थियों की सूची [प्रपत्र- 5] में अंकित है तथा आपको निर्वाचन प्रतीक के रूप में.............................प्रतीक आवंटित किया गया है। निर्वाचन प्रतीक की अनुकृति संलग्न है।

स्थान -
दिनांक -

निर्वाचन पदाधिकारी

प्रपत्र-8
निर्वाचन प्रमाण-पत्र

मैं..निर्वाचन पदाधिकारी इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि मैंने दिनांक......................माह....................वर्ष............................को श्री/सुश्री/श्रीमती.. ....जो श्री/श्रीमती.......................................के/की पुत्र/ पुत्री/ पत्नी हैं और जो.............................. ....के/की निवासी हैं, को प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति के अध्यक्ष/.............................कोटि से प्रबंधकारिणी समिति के सदस्य के रूप में सम्यक् रूपेण निर्वाचित घोषित किया है तथा प्रमाण स्वरूप मैंने उन्हें यह निर्वाचन प्रमाण पत्र दिया है।

स्थान–
तारीख–

निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर
(पदनाम की मुहर)

प्रपत्र-9

निर्वाचन अभिकर्त्ता/मतदान अभिकर्त्ता/मतगणना अभिकर्त्ता की नियुक्ति

मैं (अभ्यर्थी का नाम) .... प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति के निर्वाचन में...................................पद का/की अभ्यर्थी हूँ तथा श्री ....को आज की तारीख से एतद् द्वारा अपना निर्वाचन अभिकर्त्ता/ मतदान अभिकर्त्ता/ मतगणना अभिकर्त्ता नियुक्त करता/ करती हूँ।

स्थान - अभ्यर्थी का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

तारीख -

मैं उपर्युक्त नियुक्ति स्वीकार करता/करती हूँ।

स्थान - निर्वाचन अभिकर्त्ता/मतदान अभिकर्त्ता/मतगणना अभिकर्त्ता

तारीख - का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

अनुमोदित

स्थान - निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

तारीख -

परिशिष्ट-1

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 08 एवं भारतीय दंड संहिता के दंड (penal) प्रावधानों के संबंध में सूचना

एतद् द्वारा आपको बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 08 में भ्रष्ट आचरण एवं निर्वाचन अपराधों, तथा भारतीय दंड संहिता के अध्याय IX-A में उल्लिखित निर्वाचन से संबंधित अपराधों की सूचना दी जा रही हैं। कृपया ध्यान दे कि यह सूची सम्पूर्ण (exhaustive) नहीं है। आपको अधिक जानकारी के लिए कानून के संगत प्रावधानों का भी अध्ययन करने का परामर्श दिया जाता है। इन भ्रष्ट आचरणों तथा निर्वाचन अपराधों को किया जाना साबित हो जाने पर कानून के अनुसार आपके निर्वाचन को रद्द घोषित किया जा सकता है और/या कानून में प्रावधानित दंड भी दिया जा सकता है।

(I) बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008

(क) भ्रष्ट आचरण (धारा 14)

1. जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (केन्द्रीय अधिनियम 48, 1951) की धारा 123 में यथापरिभाषित रिश्वत
2. उक्त धारा के खंड (1) में यथापरिभाषित अनुचित प्रभाव
3. धर्म, प्रजाति, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर अपील या धार्मिक प्रतीकों का उपयोग करना या उसकी दुहाई देना या राष्ट्रीय प्रतीकों, यथा राष्ट्रीय झंडा या राष्ट्रीय चिह्न का उपयोग करना या दुहाई देना
4. धर्म, प्रजाति, जाति, समुदाय अथवा भाषा के आधार पर भारत के नागरिकों के विभिन्न वर्गों के बीच शत्रुता और घृणा की भावनाओं को भड़काना या भड़काने का प्रयास करना
5. किसी उम्मीदवार के व्यक्तिगत चरित्र या आचरण के संबंध में मिथ्या तथ्यों का प्रकाशन
6. मतदान केन्द्र तक मतदाताओं के नि:शुल्क परिवहन के लिए किसी वाहन को भाड़े पर लेना अथवा उसे प्राप्त करना या उसका उपयोग करना
7. किसी ऐसी बैठक का आयोजन जिसमें मादक द्रव्य की आपूर्त्ति की जाती हो।
8. निर्वाचन के प्रसंग में किसी ऐसे परिपत्र, विज्ञापन या इश्तहार का जारी किया जाना जिस पर इसके मुद्रणकर्त्ता और प्रकाशन का नाम-पता न हो।
9. कोई अन्य आचरण जिसे सरकार नियम बनाकर भ्रष्ट आचरण निर्दिष्ट करे

(ख) निर्वाचन अपराध

10. धारा 6(1)	-	निर्वाचन के सिलसिले में विभिन्न वर्गों के बीच शत्रुता
11. धारा 6(2)	-	मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय के 48 घंटों की अवधि के दौरान आम सभाओं पर प्रतिबंध
12. धारा 6(3)	-	निर्वाचन सभा में बाधा
13. धारा 6(4)	-	पुस्तिकाओं, पोस्टरों इत्यादि के मुद्रण पर प्रतिबंध
14. धारा 6(5)	-	मतदान की गोपनीयता बनाए रखना
15. धारा 6(6)	-	निर्वाचनों में अधिकारी आदि अभ्यर्थियों के लिए कार्य नहीं करेंगे या मतदान को प्रभावित नहीं करेंगे।
16. धारा 6(7)	-	मतदान केन्द्रों में या उसके नजदीक प्रचार पर प्रतिषेध
17. धारा 6(8)	-	मतदान केन्द्रों में या उसके नजदीक विश्रृंखल आचरण पर प्रतिबंध
18. धारा 6(9)	-	मतदान केन्द्र पर अवचार पर प्रतिबंध
19. धारा 6(10)	-	मतदान की प्रक्रिया के पालन में विफलता

20. धारा 6(11)	-	मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक आने-जाने हेतु अवैध रूप से वाहनों को किराये पर लेना या उपाप्त करना
21. धारा 6(12)	-	निर्वाचनों के संबंध में पदीय कर्त्तव्य भंग
22. धारा 6(13)	-	निर्वाचन अभिकर्त्ता/मतदान अभिकर्त्ता या गणन अभिकर्त्ता के रूप में कार्य करने के लिए सरकारी कर्मचारियों को मनाही
23. धारा 6(14)	-	मतदान केन्द्र में उसके नजदीक शस्त्र लेकर जाने पर प्रतिबंध
24. धारा 6(15)	-	मतदान केन्द्र से मतपत्रों को हटाना
25. धारा 6(16)	-	मतदान केन्द्र पर कब्जा का अपराध
26. धारा 6(17)	-	निर्वाचन संबंधी कागजातों, अभिलेखों, मतपत्रों, मतपेटिकाओं आदि को कपटपूर्वक या आवश्यक प्राधिकार के बिना नष्ट करना

(II) (ग) भारतीय दंड संहिता के प्रावधान

27. धारा 171 B	-	रिश्वतखोरी या घूसखोरी
28. धारा 171 C	-	निर्वाचनों में अनुचित प्रभाव
29. धारा 171 D	-	निर्वाचन में प्रतिरूपण (personation) अर्थात् किसी दूसरे व्यक्ति का मत स्वयं छद्म रूप से वह व्यक्ति बनकर देना
30. धारा 171 G	-	निर्वाचन के संबंध में मिथ्या विवरण देना
31. धारा 171 H	-	निर्वाचन के संबंध में अवैध भुगतान
32. धारा 171 I	-	निर्वाचन व्यय का लेखा नहीं रखना

निर्वाचन पदाधिकारी का
हस्ताक्षर

बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

बैरक संख्या-11, पुराना सचिवालय, पटना-800015

फोन- 0612-2231563, फैक्स नं. : 2231562, 2215089, बेबसाईट : www.bsea.bih.nic.in

पत्रांक-नि॰प्रा॰/ विधि 1-218/2009 **519** /पटना, दिनांक **18** मार्च, 2010

प्रेषक,

एन॰ एस॰ माधवन,

मुख्य चुनाव पदाधिकारी ।

सेवा में,

सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी(सहयोग समितियाँ) ।

विषय : **सहकारिता चुनावों में बकाया रहित प्रमाण पत्र (No Dues Certificate) के सम्बन्ध में।**

महाशय,

बिहार सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2008 की धारा 44ख च के 3(ख) के अनुसार कोई भी व्यक्ति अल्पकालीन साख संरचना अन्तर्गत सहकारी सोसाइटी के प्रबंध समिति में निर्वाचन का पात्र नहीं होगा यदि वह व्यक्ति नामांकन भरने की तिथि को उसके द्वारा लिये गये किसी प्रकार के ऋण या सोसाइटी के किसी बकाये के संबंध में सोसाइटी अथवा किसी अन्य निबंधित सोसाइटी का व्यतिक्रमी हो।

बिहार सहकारी सोसाइटी नियमावली, 1959 के नियम 23(1)(ख) से (च) तक उन अयोग्यताओं का उल्लेख किया गया है जिनके आधार पर सदस्य किसी सहकारिता निकाय का चुनाव के मतदाता तो हो सकते हैं, किन्तु अध्यक्ष अथवा प्रबंध समिति के सदस्य पद के उम्मीदवार नहीं बन सकते। उन्हीं अयोग्यताओं में एक अयोग्यता(ख) में निम्नरूपेण उल्लिखित है -

वह नामांकन भरने की तिथि को उसके द्वारा लिये गये किसी प्रकार के ऋण के संबंध में उप विधियों में यथाविहित अवधि के लिए या किसी भी हालत में तीन माह से अधिक की अवधि के लिए सोसायटी का व्यतिक्रमी हो या किसी अन्य बकाये के संबंध में सोसायटी का व्यतिक्रमी भी हो या किसी अन्य रजिस्ट्रीकृत सोसायटी का व्यतिक्रमी हो।

2. अगर नामांकन पत्रों की संवीक्षा के दौरान किसी अन्य सदस्य द्वारा यह बात निर्वाचन पदाधिकारी के संज्ञान में सबूत सहित लायी जाती है कि नामांकन भरने वाला अभ्यर्थी नामांकन पत्र/ भरने की तिथि को वस्तुत: किसी सहकारिता ऋण का व्यतिक्रमी है, तो संतुष्ट हो लेने के पश्चात् वह ऐसे अभ्यर्थी का नामांकन रद्द कर सकता है।

3. विगत पैक्स चुनाव के समय ऐसे कई मामले दृष्टिगत हुए हैं, जिसमें संबंधित वित्तीय संस्था द्वारा किसी सदस्य को पहले बकाया रहित प्रमाण पत्र निर्गत कर दिया गया है, किन्तु ऐन नामांकन भरने या संवीक्षा के समय सीधे निर्वाचन पदाधिकारी को यह सूचना उपलब्ध कराई गई है कि पूर्व प्रमाण पत्र भूलवश निर्गत हो गया था, एवं उक्त व्यक्ति के पास कुछ बकाया शेष है। अधिकांश मामलों में यह बकाया राशि अत्यन्त अल्प होती है किन्तु निर्वाचन पदाधिकारी ने उक्त आधार पर अभ्यर्थी का नामांकन रद्द कर दिया है। वित्तीय संस्था द्वारा संबंधित व्यक्ति(अभ्यर्थी) को इसकी सूचना पहले कभी नहीं दी गई। ऐसा प्रतीत होता है कि किसी पक्ष-विपक्ष से प्रभावित होकर ऐन नामांकन के समय ऐसी सूचना एक सोची-समझी रणनीति के तहत निर्गत की जाती है, ताकि उसका नामांकन रद्द हो जाए, तथा दूसरे अभ्यर्थी को इसका प्रत्यक्ष लाभ पहुँचे।

4. माननीय उच्च न्यायालय, पटना में समादेश याचिका संख्या 14139/2009 बच्चा राय बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में एक ऐसा ही मामला उठाया गया है, जिसमें याचिकाकर्त्ता का नामांकन छपरा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक की इस सूचना के आधार पर निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा रद्द कर दिया गया कि उसके पास 78 रू॰ बकाया है। ज्ञातव्य है कि उक्त बैंक द्वारा पहले अभ्यर्थी को बकाया रहित प्रमाण पत्र निर्गत कर दिया गया था। माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 10.11.2009 में इस संदर्भ में यह कड़ा प्रेक्षण किया है कि कानून की आड़ में यह शक्ति एवं अधिकारिता का खुला दुरूपयोग है। अगर याचिकाकर्त्ता को बकाया राशि प्रमाण पत्र निर्गत करने के समय ही बता दिया जाता कि उसके पास एक छोटी-सी रकम बकाया है, तो वह निश्चित ही उसका भुगतान ससमय कर देता और उसका नामांकन रद्द होने की नौबत नहीं आती।

5. उक्त परिप्रेक्ष्य में प्राधिकार द्वारा निम्नांकित निदेश दिए जाते हैं, तो भविष्य के सभी सहकारिता चुनावों/ उप चुनावों में लागू होंगे -

i. प्रारूप मतदाता सूचियाँ तैयार करने के समय ही डिस्ट्रिक्ट सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक/ स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक एवं संबंधित सोसाईटी का अभिलेखों के आधार पर बकाया ऋण प्रदर्शित कर दिया जायेगा।

ii. संबंधित वित्तीय संस्थान बकाया रहित प्रमाण-पत्र काफी सावधानी के साथ निर्गत करेंगे।

iii. बकाया रहित प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु संबंधित वित्तीय संस्थान एक पदाधिकारी को इसके लिये प्राधिकृत करेंगे। इस उद्देश्य से पैक्स एवं अन्य समितियों तथा व्यापार मंडलों के मामले में बकाया रहित प्रमाण पत्र **पेड सेक्रेटरी** द्वारा निर्गत किया जायेगा। पेड सेक्रेटरी की अनुपस्थिति में संबंधित सोसाईटी के अध्यक्ष द्वारा तथा सोसाईटी के अवक्रमित रहने की स्थिति में उसके प्रशासक द्वारा बकाया रहित प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा। डिस्ट्रिक्ट सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंकों, राज्य को-ऑपरेटिव बैंक एवं अन्य शीर्ष तथा राज्यस्तरीय सोसाईटियों/ संगठनों के मामले में बकाया रहित प्रमाण पत्र संबंधित संगठन के प्रबंध निदेशक द्वारा निर्गत किया जायेगा। किन्तु वैसे शीर्ष संगठन, जिनका क्षेत्राधिकार बड़ा है, अपने एक या एक से अधिक पदाधिकारियों को बकाया रहित प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने हेतु प्राधिकृत कर सकेंगे, परन्तु एक ही क्षेत्र(जिला, अनुमंडल आदि) के लिए वैसा एक ही प्राधिकृत पदाधिकारी होगा। उक्त प्राधिकृत पदाधिकारी से भिन्न किसी पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र अमान्य होगा। शीर्ष संस्थान द्वारा बकाया रहित प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए जिस पदाधिकारी को प्राधिकृत किया गया है, उस प्राधिकृत पदाधिकारी की सूचना बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी(स.स.) एवं सभी निर्वाचन पदाधिकारियों को अनिवार्य रूप से चुनाव घोषणा के बाद नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के पहले उपलब्ध करा दी जायेगी।

iv. अगर नामांकन पत्र भरे जाने की तिथि से तीन महीने के पूर्व कोई बकाया रहित प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है, तो उसके बाद निर्गत कोई भी बकाया ऋण पत्र मान्य नहीं होगा।

v. व्यतिक्रमियों (defaulters) के मामले में उन्हें बकाया(अगर कोई हो) चुकता करने का पूरा मौका दिया जाएगा। उनके द्वारा ऋण चुकता कर देते ही उन्हें तुरन्त पूर्ण बकाया रहित प्रमाण-पत्र पुनः निर्गत कर दिया जाएगा। **किन्तु ऐसा कोई भी संशोधन नामांकन शुरू हो जाने के पूर्व तक ही किया जायेगा।**

vi. संवीक्षा के दौरान निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा लिखित अनुरोध दिए जाने पर ही संबंधित प्रतिष्ठान किसी अभ्यर्थी के बकाये के संबंध में उन्हें सीधे सूचना उपलब्ध करायेंगे।

6. उपर्युक्त निदेश तुरंत प्रभावी होंगे।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(एन॰ एस॰ माधवन)

मुख्य चुनाव पदाधिकारी

ज्ञापांक- **519** /पटना, दिनांक **18** मार्च, 2010

प्रतिलिपि-प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

मुख्य चुनाव पदाधिकारी

ज्ञापांक- **519** /पटना, दिनांक **18** मार्च, 2010

प्रतिलिपि-निबंधक सहयोग समितियां, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि अपने स्तर से इसकी प्रति सभी संबंधित पदाधिकारियों / सहकारी समितियों/सहकारी बैंकों को अनुपालनार्थ उपलब्ध कराया जाय।

मुख्य चुनाव पदाधिकारी

परिशिष्ट-3

प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति की सूची, जिनकी मतदाता सूची अंतिम रूप से प्रकाशित कर दी गयी है।

जिला - पटना (कुल- 59 दु०उ०स०स०)

क्रमांक	प्रखंड	दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति का नाम
1.	धनरूआ	1. कुकुरवाड़ा, 2. डुमरा
2.	घोसवरी	1. पंचेश्वरनाथ, 2. पैजना, 3. तारंतर
3.	खुसरूपुर	1. युसुफपुर पैगम्बरपुर
4.	बख्तियारपुर	1. कसबा, 2. गंजडेरा
5.	बाढ़	1. राजपुरा
6.	बेलछी	1. बाघा टिल्हा, 2. मुर्तुजापुर
7.	मोकामा	1. जलालपुर नौरंगा, 2. बरहपुर कालीस्थान, 3. मोर
8.	मसौढ़ी	1. गंगाचक सिढ़ीपर, 2. तुलसीचक, 3. हसनपुरा, 4. खरोज 5. म0 गफुरीचक, 6. केवटा दरियापुर
9.	मनेर	1. खासपुर बगीचा, 2. छिहत्तर, 3. बदलटोला 4. ब्रह्मचारी 5. रामपुर, 6. मेहदावाँ
10.	बिक्रम	1. पडरियावाँ, 2. पैनापुर, 3. दनाड़ा 4. अख्तियारपुर, 5. कटारी, 6. म0 चिरैयाटाँड़ 7. मोहनचक, 8. अराप, 9. महम्मदपुर
11.	बिहटा	1. हसनचक, 2. बिलाप, 3. केल्हनपुर, 4. योगीपुर 5. दोघड़ा, 6. पाण्डेयपुर, 7. नेउरी
12.	पंडारक	1. पैठानीचक, 2. ग्वासा शेखपुरा,
13.	दानापुर	1. दाउदपुर बगीचा, 2. काफरपुर
14.	दुल्हिन बाजार	1. धरमचक, 2. सेल्हौरी, 3. बाड़ीचक 4. म0 महाबलीपुर, 5. कोपा
15.	नौबतपुर	1. धोबिया कलापुर, 2. काला भगवानपुर, 3. दरियापुर, 4. वादीपुर 5. भवानीचक, 6. रौनिया, 7. अहुआरा
16.	अथमलगोला	1. जमालपुर

जिला - नालन्दा (कुल- 36 दु०उ०स०स०)

17.	एकंगरसराय	1. अतरामचक, 2. नकदोई, 3. कादिलपुर 4. दनियावाँ पेन्दापुर, 5. मानपुर
18.	इसलामपुर	1. बकौर, 2. जैतीपुर
19.	हिलसा	1. कुर्मिया बिगहा, 2. मलावाँ, 3. चन्दौत 4. जुनियार, 5. केषोपुर, 6. खेमन बिगहा
20.	थरथरी	1. आस्ता, 2. रघुनाथपुर
21.	हरनौत	1. खैरा, 2. मिरदाहाचक
22.	परबलपुर	1. सोनचरी
23.	वेन	1. वेन
24.	चण्डी	1. चैनपुर, 2. गौरी बिगहा, 3. रसलपुर 4. हवीबुलाचक गंगौरा, 5. गोखुलपुर
25.	नूरसराय	1. मुजफ्फरपुर, 2. बारा बिगहा, 3. नीरपुर
26.	नगरनौसा	1. दामोदरपुर, 2. मोहीउद्यीनपुर, 3. मुसहरी सकरपुरा 4. म0 षाहपुर, 5. तीना, 6. मुस्तफापुर नगवाँ
27.	अस्थावाँ	1. कैला, 2. बहादुरपुर, 3. बदौली

जिला - भोजपुर (कुल- 30 दु०उ०स०स०)

28.	**गड़हणी**	1. चॉदी, 2. ईचरी
29.	**अगिऑव**	1. बनकट, 2. लहरपा
30.	**जगदीशपुर**	1. तेन्दुनी, 2. कौरा, 3. अरैला
31.	**तरारी**	1. मोआप खुर्द, 2. सिकरौल, 3. बिहटा 4. चकियॉं, 5. राजपुर
32.	**चरपोखरी**	1. सोनवर्षा, 2. हवेलीपुर, 3. प्रीतमपुर 5. अमोरजा, 6. ठकुरी
33.	**सहार**	1. गुलजारपुर, 2. एकवारी, 3. हातिमगंज, 4. पेरहाप
34.	**पीरो**	1. महिला वासमनपुर, 2. देव चन्दा, 3. भड़सर
35.	**बिहियॉं**	1. महुऑव
36.	**कोईलवर**	1. दुर्जनचक, 2. बड़ा चन्दा
37.	**बड़हरा**	1. सिन्हा, 2. महिला वभनगॉवां, 3. बबुरा

जिला - बक्सर (कुल- 7 दु०उ०स०स०)

38.	**ब्रहम्पुर**	1. बड़की नैनीजोर
39.	**सिमरी**	1. धनन्जयपुर, 2. कठार
40.	**डुमरॉव**	1. अकबरपुर
41.	**चौगाई**	1. मसर्हियॉं
42.	**नावानगर**	1. रूपसागर, 2. परमेश्वरपुर

जिला - रोहतास (कुल- 18 दु०उ०स०स०)

43.	**नासरीगंज**	1. सरैयां
44.	**दावथ**	1. जगोधारा, 2. महिला देवढ़ी, 3. कैलानी, 4. छितनी
45.	**सूर्यपुरा**	1. सुअरा
46.	**विक्रमगंज**	1. नोऑव
47.	**दिनारा**	1. वेलवैया, 2. सरना, 3. तेनुआठ मठिया 4. गंज भड़सरा, 5. जमरोढ़, 6. भलुनी 7. जिगना, 8. वरडीहॉं, 9. महरोढ़
48.	**कोचस**	1. रूपीबान्ध, 2. सोहसा महावीरगंज

जिला - गया (कुल- 17 दु०उ०स०स०)

49.	**गुरारू**	1. डीहा
50.	**परैया**	1. टंडवा
51.	**टिकारी**	1. मउ, 2. शिवनगर, 3. कमालपुर 4. ईटहोरी, 5. अमॉव, 6. फेनागी 7. नौघड़ा, 8. उर-विशनपुर, 9. नीमसर
52.	**कोंच**	1. बडगॉव, 2. सिन्दुआरी, 3. परसावॉ 4. कॉवर, 5. मुंडेरा
53.	**बेलागंज**	1. खनेटापाली

जिला - अरवल (कुल- 3 दु०उ०स०स०)

54.	**बंशी सोनभद्र**	1. मझियावॉ
55.	**करपी**	1. करवॉ बलराम, 2. चनौरा बलराम

जिला - मुजफ्फरपुर (कुल- 9 दु०उ०स०स०)

56.	**औराई**	1. कल्याणपुर महिला

57.	**साहेबगंज**	1. बासुदेवपुर सराय
58.	**सकरा**	1. सपाही, 2. रेपूरा महिला
59.	**मुरौल**	1. मालपुर अग्रैल
60.	**मोतीपुर**	1. भवानीडीह
61.	**मीनापुर**	1. श्यामनगर, 2. शितलपट्‌टी
62.	**कुढ़नी**	1. अमरख

जिला - वैशाली **(कुल- 79 दु०उ०स०स०)**

63.	**महुआ**	1. म0 लक्ष्मी नारायणपुर, 2. गोरीगामा, 3. भदवास, 4. माधोपुर टरिया 5. गैसपुर चाँदपुर, 6. गरजौल, 7. विषुनपुर गोविन्द
64.	**महनार**	1. म0 देषराजपुर, 2. म0 सरमस्तपुर
65.	**बिदुपुर**	1. सिंधिाया कमालपुर, 2. बिदुपुर डीह, 3. मोहीउद्यीनपुर, 4. मनीयारपुर 5. सैदपुर गणेष, 6. म0 पंचकठिया, 7. नावानगर
66.	**हाजीपुर**	1. म0 अस्तीपुर, 2. सहजादपुर जितवार, 3. मंसुरपुर सराय, 4. हिलालपुर मदारपुर, 5. म0 बाकरपुर 6. म0 इसमाईलपुर, 7. सहदुल्लहपुर, 8. अरड़ा पूर्वी, 9. चपुता 10. बराँटी, 11. विररा, 12. म0 अरड़ा, 13. हरिहरपुर रजौली, 14. म0 हिलालपुर
67.	**भगवानपुर**	1. प्रतापटाँड, 2. म0 सैदपुर पटेढ़ा, 3. बान्थु, 4. खिरखौंआ 5. वराहरूप, 6. हाँसी केवल, 7. म0 सहथा, 8. म0 सहोरी
68.	**पातेपुर**	1. नीरपुर, 2. इमादपुर, 3. म0 नीलो रूकुन्दपुर 4. कुमार वाजितपुर, 5. हरपुर
69.	**राघोपुर**	1. वीरपुर, 2. विषुनपुर नयाटोला
70.	**राजापाकड़**	1. भाथादासी, 2. बाकरपुर गंगाजल, 3. षिवगंज 4. भलूई पंचायत, 5. म0 कल्याणपुर, 6. बसरा
71.	**सहदेई बुजुर्ग**	1. खरजम्मा, 2. विहजादी, 3. नयागाँव, 4. म0 रामपुर खैरी
72.	**देसरी**	1. म0 आजमपुर, 2. धार्मपुर ममरेजपुर
73.	**वैशाली**	1. म0 जतकौली, 2. म0 श्यामपुर, 3. चिन्तामणीपुर, 4. खेदरपुरा 5. शेखपुरा, 6. महिला चकमुन्नी, 7. महिला झिटकईया
74.	**चेहराकला**	1. म0 शेरपुर जलाल
75.	**जन्दाहा**	1. महिसौर, 2. चकसहाबली, 3. रामपुर चकलाला 4. गराही, 5. ज0 चकमहद्यीन, 6. बहसी
76.	**गोरौल**	1. पिरोई
77.	**लालगंज**	1. पौंड़ा, 2. पोझिया, 3. खरौना 4. म0 जागोडीह, 5. म0 राजअनवरपुर, 6. केषोपुर
78.	**पटेढ़ी बेलसर**	1. जारंग रामपुर

जिला - पूर्वी चंपारण **(कुल- 3 दु०उ०स०स०)**

79.	**चिरैया**	1. शितलपट्‌टी
80.	**ढ़ाका**	1. झौआ राम
81.	**तेतरिया**	1. गोसाईपुर

जिला - सीतामढ़ी **(कुल- 4 दु०उ०स०स०)**

82.	**बेलसंड**	1. बेलसंडखुर्द म., 2. माड़र
83.	**रून्नीसैदपुर**	1. महेशाफरकपुर

84.	**मेजरगंज**	1. मलिनिया

जिला - शिवहर **(कुल- 3 दु०उ०स०स०)**

85.	**तरियानी**	1. विशम्भरपुर, 2. नरवारा
86.	**पिपराही**	1. अम्बाकला

जिला - सारण **(कुल- 4 दु०उ०स०स०)**

87.	**सोनपुर**	1. हासिलपुर, 2. डुमरी बुजुर्ग, 3. सिताबगंज
88.	**दिघवारा**	1. उन्हचक

जिला - गोपालगंज **(कुल- 5 दु०उ०स०स०)**

89.	**हथुआ**	1. खैरटीया
90.	**पंचदेवरी**	1. भृगीचक, 2. रूपपोईयॉ
91.	**कुचाई कोट**	1. अहियापुर
92.	**फुलवरिया**	1. बनिया छापर

जिला - भागलपुर **(कुल- 17 दु०उ०स०स०)**

93.	**ईस्माईलपुर**	1. साहुपरबत्ता, 2. पाँच सौ उन्नीस, 3. कमलाकुंड ठाकुरबाड़ी, 4. फुलकिया
94.	**नवगछिया**	1. गरैया, 2. श्रीपुर महिला, 3. महदत्तपुर, 4. तेतरी
95.	**बिहपुर**	1. झंडापुर, 2. नरकटिया, 3. अमरपुर 4. औलियाबाद, 5. सोनवर्षा
96.	**सबौर**	1. ममलखा
97.	**खरीक**	1. बगड़ी, 2. कठैला टोला
98.	**गोपालपुर**	1. तिनटंगा

जिला - लखीसराय **(कुल- 8 दु०उ०स०स०)**

99.	**बड़हिया**	1. मधुबन
100.	**रामगढ़**	1. परसांवा, 2. नदियावा, 3. औरे
101.	**सूर्यगढ़ा**	1. खरीकसोई, 2. ऋषि पहाड़पुर, 3. अवगिल
102.	**पिपरिया**	1. राहतपुर

जिला - खगड़िया **(कुल- 12 दु०उ०स०स०)**

103	**खगड़िया**	1. सोरायडीह, 2. गंगौर
104	**मानसी**	1. ठाठा
105	**परवत्ता**	1. अगुवानी
106	**अलौली**	1. सिवाना, 2. बथनाहा, 3. बिंदटोली 4. औराही, 5. गारियामी
107	**गोगरी**	1. समसपुर, 2. नवटोलिया, 3. बड़ी पैकात

जिला - बेगूसराय **(कुल- 40 दु०उ०स०स०)**

108	**शाम्हो**	1. कुरहा, 2. अकबरपुर
109	**खोदावन्दपुर**	1. मुशहरी न०, 2. बरियारपुर पूर्वी म०
110	**बलिया**	1. मझनपुर, 2. हुसैनीचक, 3. कमालपुर दि० 4. मंसेरपुर, 5. सदानंदपुर
111	**बरौनी**	1. गंगा प्रसाद, 2. रामपुर बहुआरा
112	**बछवाड़ा**	1. सुरो म०, 2. भगवानपुर दि०, 3. मुरादपुर म० 4. चामुवन, 5. राजापुर

113	**बेगूसराय**	1. कमरूद्दीनपुर, 2. करबल्ला, 3. भर्रा
114	**मंसुरचक**	1. अहियापुर तकिया
115	**मटिहानी**	1. रामदीरी भवानंदपुर, 2. छितरौर, 3. लभरचक 4. शंकरपुर बखड्डा म०, 5. महेन्द्रपुर
116	**भगवानपुर**	1. लखनपुर म०
117	**साहेबपुर कमाल**	1. आहोकघाट
118	**छौड़ाही**	1. हरेरामपुर, 2. डीही, 3. परमालपुर
119	**वीरपुर**	1. मुरादपुर, 2. लक्ष्मीपुर
120	**चे० बरियारपुर**	1. काजीचक, 2. करोड़ म०, 3. सकरवासा
121	**तेघड़ा**	1. केलाबाड़ी, 2. अयोध्याबाड़ी, 3. मधु० नवोदय, 4. चिल्हाय म०
122	**गढ़पुरा**	1. रजौड़

<u>जिला - दरभंगा</u> **(कुल- 1 दु०उ०स०स०)**

123	**जाले**	1. लतराहा

<u>जिला - समस्तीपुर</u> **(कुल- 84 दु०उ०स०स०)**

124	**ताजपुर**	1. अधारपुर, 2. चकहबीब, 3. माधोपुर दिधरूआ 4. फतेहपुरबाला, 5. ददरीधनराज
125	**वारिसनगर**	1. मकसूदपुर
126	**दलसिंगसराय**	1. रामपुर जलालपुर महिला, 2. वाजिदपुर गादो महिला, 3. खोकसारसलपुर 4. बम्बैया हरलाल, 5. मथुरापुर
127	**उजियारपुर**	1. देसुआ, 2. कोरबद्धाा, 3. मुरियारो, 4. छपड़ा, 5. बैकण्ठपुर ब्रहण्डा महिला 6. शैदपुर महिला, 7. तेभाग पतैली, 8. बहदुरा, 9. जनकपुर महिला 10. सातनपुर महिला, 11. शाहबाजपुर, 12. बिरनाामा, 13. निकसपुर
128	**सरायरंजन**	1. खालिसपुर, 2. अहमदपुर, 3. जितवारपुर कुम्हिरार, 4. बरहेता 5. झखरा, 6. बखरीबुजुर्ग, 7. सिहमा महिला
129	**समस्तीपुर**	1. मुकुन्दपुर, 2. भुसारी, 3. पुनास महिला 4. रधुनाथपुर बेला महिला, 5. माधोपुर
130	**पूसा**	1. बिरौली महिला, 2. हरपुर, 3. नारायणपुर
131	**पटोरी**	1. सुपौल, 2. रूपौली, 3. शैदपुर बलथारा
132	**हसनपुर**	1. बेलभद्रपुर, 2. पटोरीडुमरा, 3. मंगलगढ
133	**विभुतिपुर**	1. विशनपुर, 2. झपही, 3. बंगरौटी जगरनाथपुर, 4. टभका ठाकुरटोल 5. लिटियाही महिला, 6. जगन्नाथपुर महिला, 7. कल्याणपुर महिला
134	**विद्यापतिनगर**	1. वाजिदपुर दानीटोल, 2. मनीचक, 3. नवटोल टॉरा महिला 4. बढ़ौना, 5. मउ, 6. चकुम्मर
135	**मोरवा**	1. हलई, 2. बांगर, 3. बसही भिण्डी
136	**मोहनपुर**	1. माधोपुर, 2. हरदासपुर, 3. डुमरी पश्चिम, 4. बिनगामा
137	**मोहिउद्दीनगर**	1. ब्रहमपुर, 2. भासिंगपुर, 3. टॉरा 4. मोगलचक, 5. रमैया भदैया
138	**कल्याणपुर**	1. गोराई, 2. वासुदेवपुर मनियारपुर महिला, 3. सिंघिया महिला, 4. ध्रुवगामा 5. करूआ, 6. जटमलपुरतीरा, 7. बेलसंडी 8. बालापुर, 9. लदौरा, 10. मधुरापुर टारा महिला, 11. रमौली
139	**खानपुर**	1. गोटियाही, 2. दिनमनपुर हरिटोल, 3. बरहगामा